

स० स० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक
इन्दिरा गाधी आर्युविज्ञान संस्थान,
शेखपुरा, पटना-14 ।

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 11.02.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	द्वौपदी देवी पति- उमेश प्रसाद चौरसिया ग्राम+पो०- घनकुटवा थाना- बलथर जिला- पश्चिम चम्पारण सीआर न०- 108112500222700	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	लालमुनि देवी पति- रामजी सिंह ग्राम- हल्दी छपरा पुराना टोला वार्ड 12 पो०+थाना- मनेर जिला- पटना सीआर न०- 108112402115351	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	अभिराम सिंह पिता- कपिलदेव सिंह ग्राम- जलालपुर वार्ड 02 पो०- जलालपुर थाना- पंचमहला जिला- पटना सीआर न०- 108112502367691	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	चिरजीव भडारी पिता- तिलकेश्वर भडारी ग्राम+पो०- ताजपुर थाना- झंझारपुर जिला- मधुबनी सीआर न०- 108112300689859	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

5	मो० इकबाल पिता- मो० बीरन ग्राम- आदर्श नगर मधेपुरा पो०+थाना- मधेपुरा जिला- मधेपुरा सीआर नं०- 108112300247295	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
6	मनचन पंडित पिता- पुण्डेव पंडित ग्राम+पो०- बन्दार थाना- निमाचदपुरा जिला- बेगूसराय सीआर न०- 10811250180389	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
7	मनिमाला सिन्हा पति- विजय कुमार सिन्हा ग्राम- आर एस टेक बलभद्रपुरवार्ड 45 पो०- लहेरियासराय थाना- बहादुरपुर जिला- दरभंगा सीआर न०- 108112403323291	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
8	उमेरा खातून पति- मुनाजीर आलम ग्राम- चहटपुर वार्ड 01 पो०- लोहागारा हाट थाना- गर्भडागा जिला- किशनगज सीआर न०- 108112503655963	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
9	शिव चंद्र राय पिता- शीतल राय ग्राम- डीह बुचौली वार्ड 14 पो०- डीह बुचौली थाना- जन्दाहा जिला- वैशाली सीआर न०- 108112400347556	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
10	गोलु कुमार पिता- अनिल ठाकुर ग्राम- पकरी वार्ड 09 पो०- कोसुम्हार थाना- अकबरपुर जिला- नवादा सीआर न०- 108112503313323	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
11	सीता देवी पति- मुकेश प्रसाद ग्राम- कस्तुरवा पथ नॉर्थ एस०के०पुरी वार्ड 23 पो०- पाटलिपुत्रा थाना- एस० के० पुरी जिला- पटना सीआर न०- 108112500409885	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

12	आशीष कान्त राय पिता- राम प्रिक्षण राय ग्राम- मगरौना वार्ड 07 पो0- गोनौली थाना- अन्धाटारही जिला- मधुबनी सीआर न0- 108112501888035	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
13	प्रेम बैठा पिता- रामाशकर बैठा ग्राम- मथौली खास पो0+थाना- उचकागाव जिला- गोपालगज सीआर न0- 108112400814324	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
14	योगेंद्र कुमार ठाकुर पिता- हरेराम ठाकुर ग्राम- दियौ परमेश्वर पो0- दियौ मान थाना- कृष्णब्रहम जिला- बक्सर सीआर नं0- 108112600010858	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
15	सुलेखा देवी पति- अनिरुद्ध यादव ग्राम- बरैटा वार्ड 07 पो0- जमालपुर थाना- गोगरी जिला- खगडिया सीआर न0- 108112502534954	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
16	सुमति देवी पति- अजय कुमार चौधरी ग्राम- तुलकौलिया वार्ड 04 पो0- राजनडीह थाना- राजपुर जिला- रोहतास सीआर न0- 108112503402369	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
17	असमिना खातुन पिता- मो0 नजीर ग्राम- शमशेरगज वार्ड 02 पो0- कटिहार थाना- सहायक जिला- कटिहार सीआर न0- 108112503216859	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
18	रामचंद्र भगत पिता- जय नारायण भगत ग्राम- राजीव नगर रोड न0- 05 वार्ड 06 पो0- केशरी नगर थाना- राजीवनगर जिला- पटना सीआर न0- 108112400202574	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

19	सज्जन प्रसाद पिता- स्व० लखन राम ग्राम- न्यू एरिया पुरानी अरविद महिला कॉलेज कॉंग्रेस मैदान पो०+थाना- कदमकुआं जिला- पटना सीआर न०- 108112600087851	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
20	कारी देवी पति- नरेश मालाकार ग्राम- सिगरहाट वार्ड 18 पो०+थाना- शेहसराय जिला- नालदा सीआर न०- 108112502355871	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
21	शारदा कुमारी पिता- रामरूप प्रसाद यादव ग्राम- सधुआ वार्ड 13 पो०- सधुआ थाना- रगरा जिला- भागलपुर सीआर नं०- 108112503515562	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
22	करनेश कुमार पिता- रामएकबाल राय ग्राम- बेलाही दुल्लाह वार्ड 02 पो०- कसतुरिया थाना- हिरम्मा जिला- शिवहर सीआर न०- 108112503558059	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
23	चद्रशेखर यादव पिता- जगदेव यादव ग्राम- पथराहा वार्ड 10 पो०+थाना- घैलाढ जिला- मधेपुरा सीआर न०- 108112501972168	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
24	शुशीला देवी पति- बृजनदन प्रसाद सिंह ग्राम- दीघा बाजितपुर अपोजिट पूजा फ्लावर मिल पो०+थाना- दीघा जिला- पटना सीआर न०- 108112502627189	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
25	उर्मिला देवी पति- जनार्दन सिंह ग्राम- चम्पापुर वार्ड 01 पो०- घोसवरी थाना- बखतियारपुर जिला- पटना सीआर न०- 108112300246736	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

26	धर्मशीला पति- श्री चन्द्र पासवान ग्राम- बसमन बीघा वार्ड 03 पो0+थाना- बिहारशरीफ जिला- नालदा सीआर न0- 108112503410400	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
27	गगा देवी पति- नवल किशोर झा ग्राम- बनगाव वार्ड 03 पो0+थाना- बनगाव जिला- सहरसा सीआर न0- 108112501421901	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
28	मजूशा देवी पति- सिव शकर प्रसाद ग्राम- नूरसराय वार्ड 01 पो0+थाना- नूरसराय जिला- नालदा सीआर न0- 108112300500454	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
29	अजू देवी पति- रामअहलाद राय ग्राम- सोमनाहा खुडगास वार्ड 11 पो0- सोमनाहा मिजनिगर थाना- चकमेहसी जिला- समस्तीपुर सीआर न0- 108112402949995	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
30	कगिया देवी पति- नवल यादव ग्राम+पो0- दीघीया थाना- किशनपुर जिला- सुपौल सीआर न0- 108112300670716	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
31	बिध्यचल यादव पिता- राम अवतार ग्राम+पो0- कोरियावा थाना- बडहरिया जिला- सिवान सीआर न0- 108112501757437	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
32	बिमला देवी पिता- मैथे यादव ग्राम- बडी केवाल वार्ड 06 पो0- रजौर थाना- गढपुरा जिला- बेगूसराय सीआर न0- 108112501243506	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
33	उमेश साह पिता- बुनिलाल साह ग्राम+पो0- पकरिया थाना- छौडादानी जिला- पूर्वी चम्पारण सीआर न0- 108112501809275	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

34	शर्मीला देवी पति- उमेश राय ग्राम- बिशुनपुर पहाडपुर वार्ड 17 पो0- शाहपुर उण्डी थाना- शाहपुर जिला- समस्तीपुर सीआर न0- 108112300046974	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
35	कचन देवी पति- रौशन यादव ग्राम- बकुआ वार्ड 04 पो0- भरगामा थाना- भेजा जिला- मधुबनी सीआर न0- 108112500792778	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
36	अनिल कुमार यादव पिता- ब्रहम देव यादव ग्राम- गौरीपुर वार्ड 07 पो0- कमलपुर थाना- बी कोठी जिला- पूर्णियाँ सीआर न0- 108112500880383	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
37	राजेद्र दास पिता- स्व0 मिश्री दास ग्राम- मुर्गिया चक वार्ड 02 पो0- भोरेजयराम थाना- खानपुर जिला- समस्तीपुर सीआर न0- 108112403452369	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
38	आनदी देवी पति- स्व0 मुखदेव महतो ग्राम- शाहजहापुर वार्ड 13 पो0- बालुकाराम थाना+जिला- वैशाली सीआर नं0- 108112300434290	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
39	उपेद्र महतो पिता- विश्वनाथ महतो ग्राम+पो0- रधुनाथपुर थाना- पारु जिला- मुजफ्फरपुर सीआर नं0- 108112503586249	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
40	इदु देवी पति- नरेश राम ग्राम- शाहपुर उदी वार्ड 20 पो0+थाना- शाहपुर पटोरी जिला- समस्तीपुर सीआर न0- 108112403425311	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

41	बुद्ध यादव पिता- रेमतु यादव ग्राम- मोहनपुर पो0- श्रीपुर हाटी थाना- पडौल जिला- मधुबनी सीआर न0- 108112403268801	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
42	हस राज पिता- शेखर कुमार ग्राम+पो0- घोसिया थाना- चौसा जिला- मधेपुरा सीआर नं0- 108112501610517	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
43	सजय पटेल पिता- चंद्रेश्वर पटेल ग्राम- पुरखौली वार्ड 07 पो0- पुरखौली थाना- लालगज जिला- वैशाली सीआर न0- 108112300571033	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
44	सजू देवी पति- बिहारी प्रसाद ग्राम- मदनपुरा पो0+थाना- रहुई जिला- नालदा सीआर न0- 108112503604689	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
45	पार्वती देवी पति- हरेराम यादव ग्राम- रामचंदरपुर बहरामपुर वार्ड 05 पो0- नैपुर थाना- बछवाडा जिला- बेगूसराय सीआर न0- 108112503581352	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
46	सीता देवी पति- विकाश कुमार महतो ग्राम- मछही वार्ड 10 पो0- मछही थाना- सकरा जिला- मुजफ्फरपुर सीआर न0- 108112400164486	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
47	सुष्मिता कुमारी पति- सुमित कुमार ग्राम- लोमा वार्ड 10 पो0- लोमा थाना- तिसिऔता जिला- वैशाली सीआर न0- 108112503135557	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

48	मगल मंडल पिता- गोपाल मंडल ग्राम- ढोलबज्जा वार्ड 12 पो0- ढोलबज्जा थाना- फारबिसगज जिला- अररिया सीआर न0- 108112501700508	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
49	माधुरी शर्मा पति- ललित शर्मा ग्राम- नईसराय पो0+थाना- बिहारशरीफ जिला- नालदा सीआर न0- 108112600131140	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
50	प्रियाशु कुमार पिता- अनिल राय ग्राम- हरिपुर पो0- बिशनपुर अभी थाना- खानपुर जिला- समस्तीपुर सीआर न0- 108112402856598	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
51	फुल कुमारी देवी पति- गोनू साह ग्राम- पातेपुर वार्ड 12 पो0- पौरा थाना- करताहा जिला- वैशाली सीआर न0- 108112402348886	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
52	रूवेदा खातून पति- दिल मोहम्मद ग्राम- बरदाहा वार्ड 06 पो0- नाथपुर थाना- नरपतगंज जिला- अररिया सीआर न0- 108112503463561	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
53	प्रमिला देवी पति- सजय साव ग्राम- चौरासा वार्ड 07 पो0- अबगीला चौरासा थाना- चन्द्रदीप जिला- जमुई सीआर न0- 108112401831648	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
54	मुन्नी देवी पति- शम्भू ऋषि ग्राम- हसवर पो0- नवाबगज थाना- मनिहारी जिला- कटिहार सीआर न0- 108112502184325	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।

55	सजुरा खातून पति- कमरूल हक ग्राम- जतहर वार्ड 02 पो0- शिवानदपुर थाना- अबादपुर जिला- कटिहार सीआर न0- 108112600052178	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत ।
56	राम उद्गार मडल पिता- सियाराम मडल ग्राम- हरपुर पो0- हरियाही थाना- निर्मली जिला- सुपौल सीआर न0- 108112300131831	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत ।
57	कमलेश शर्मा पिता- नागेश्वर शर्मा ग्राम- तारपर पो0- सिरनवा थाना- वेना जिला- नालदा सीआर न0- 108112300406806	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत ।
58	अनीता देवी पति- हरिनाथ सिंह ग्राम- तिलक ताजपुर वार्ड 03 पो0- तिलक ताजपुर थाना- रून्नी सैदपुर जिला- सीतामढी सीआर न0- 108112400887437	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत ।
59	रेखा देवी पति- चद्र शेखर दास ग्राम- पपरौर वार्ड 09 पो0- पपरौर थाना- बरौनी जिला- बेगूसराय सीआर न0- 108112403842612	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत ।
60	शत्रुधन शर्मा चौपाल पिता- कनाय शर्मा चौपाल ग्राम+पो0- गोबिदपुर थाना- प्रतापगज जिला- सुपौल सीआर न0- 108112300018555	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत ।
61	अरुणा देवी पति- उदय सिंह ग्राम- सिमरी बिगहा वार्ड 14 पो0+थाना- वारसलगज जिला- नवादा सीआर न0- 108112403074551	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत ।

62	मो० समीर आलम पिता- खपतुल्लाह ग्राम- फुलवरिया पो०- थिरानीगज थाना- टेएगाछ जिला- किशनगज सीआर न०- 108112503139986	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
63	रामा देवी पति- योगिन्दर सिंह ग्राम- दगसी वार्ड 03 पो०- दगसी थाना- सिधवलिया जिला- गोपालगज सीआर न०- 108112501625361	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
64	रेनू देवी पति- स्व० रामदेव साहनी ग्राम- इस्लामगज वार्ड 03 पो०- हुलासी टोला थाना- मनेर जिला- पटना सीआर न०- 108112402237341	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
65	शांति देवी पति- देवदत्त प्रसाद ग्राम+पो०- हरहिरपुर कला थाना- जामो बाजार जिला- सिवान सीआर न०- 108112300290212	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
66	सुनीता देवी पति- नरेश रमानी ग्राम- बाघमारा सतमी वार्ड 05 पो०- पीरमोकाम थाना- फलका जिला- कटिहार सीआर न०- 108112400683971	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
67	अशोक मुखिया पिता- चौठी मूखिया ग्राम- मकुना वार्ड 10 पो०- मकुना थाना- बिहरा जिला- सहरसा सीआर न०- 108112502858440	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
68	शिवजी सिंह पिता- रामईश्वर सिंह ग्राम- चेताटोला पो०- प्रतापपुर थाना- सदेस जिला- भोजपुर सीआर न०- 108112401861369	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।

69	गीता देवी पति- नेपाली ठाकुर ग्राम- गोसाईं गाव वार्ड 08 पो0- गोसाईं गाव थाना- गोपालपुर जिला- भागलपुर सीआर न0- 108112400422973	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
70	सुरती देवी पति- कृष्णा महतो ग्राम- भौरा बारी वार्ड 45 पो0- कटिहार थाना- नगर जिला- कटिहार सीआर न0- 108112500145870	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
71	प्रवीला देवी पति- अवधेश कुमार ग्राम- कधा पो0- कोचगाव थाना- वारसलीगंज जिला- नवादा सीआर न0- 108112300117740	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
72	मो0 असलम मिया पिता- आमिर हुसैन ग्राम- करसघाट वार्ड 06 पो0- झझवा बाजार थाना- महम्मदपुर जिला- गोपालगज सीआर न0- 108112300694119	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
73	मो0 वहाब पिता- शाबुद्दीन ग्राम- महेद्रपुर वार्ड 02 पो0- भोगा भटगामा थाना- मुफरिसल जिला- पूर्णियाँ सीआर न0- 108112502923179	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
74	राम लखन सिंह पिता- स्व0 रामपूजन सिंह ग्राम- रानीपुर पो0+थाना- पालीगज जिला- पटना सीआर न0- 108112403417159	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
75	अर्चना देवी पति- रूपेन्द्र प्रसाद यादव ग्राम- ओरैया वार्ड 05 पो0- रजता थाना- झाझा जिला- जमुई सीआर न0- 108112500788703	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।

76	असलम असाशी पिता- जीमल ग्राम- डुमरामा वार्ड 01 पो0- डुमरामा थाना- अमरपुर जिला- बाका सीआर न0- 10811250003544	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
77	शबुद्दीन पिता- एकीनूउद्दीन ग्राम- महेशपुर पो0- गाजन थाना- बारसोई जिला- कटिहार सीआर न0- 108112501330662	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
78	खातुन नेशा पति- नुरुल्लाह मिया ग्राम+पो0- सेमरहिया थाना- छौडादानी जिला- पूर्वी चम्पारण सीआर न0- 108112301023676	कैसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
79	सिकिलदेव महतो पिता- धरिछन महतो ग्राम+पो0- बिजबनी थाना- जितना जिला- पूर्वी चम्पारण सीआर न0- 108112503315571	हृदय रोग पेसमकर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
80	मुस्तफा खान पिता- मजूर खान ग्राम- तलखापुर वार्ड 33 पो0- डुमरा थाना- पुनौरा जिला- सीतामढी सीआर न0- 108112503218193	Osteo atreritrs poota kyee	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
81	राम प्रवेश सिंह पिता- स्व0 रामयश सिंह ग्राम- सैदनपुर पो0- नदनलालबाद थाना- गौरीचक जिला- पटना सीआर न0- 108112503455373	नी रिप्लेसमेट	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
82	विनोद कुमार विश्वाश पिता- गोविंद लाल विश्वाश ग्राम- बटुरबाडी वार्ड 08 पो0- बटुरबाडी थाना- ताराबाडी जिला- अररिया सीआर न0- 108112503128151	टोटल हीप रिप्लेसमेट	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।

83	चन्द्र प्रभा देवी पति- लल्लु राम ग्राम- गाँधी नगर पंचशील नगर वार्ड 36 पो0- दीघा थाना- दानापुर जिला- पटना सीआर न0- 108112401480527	LE Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
84	रामकली देवी पति- चदर साह ग्राम- बजीतपुर वार्ड 14 पो0- लगमा थाना- डुमरा जिला- सीतामढी सीआर न0- 108112503669233	RE Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
85	सरस्वती कुमारी पति- राजकिशोर कुमार राम ग्राम- उसरी खुर्द वार्ड 06 पो0- खगौल थाना- शाहपुर जिला- पटना सीआर न0- 108112400679591	Cataract + Injection	10,000	दस हजार स्वीकृत।
86	जैतून बेगम पति- अब्दुल कुदास ग्राम- चिकटोली पो0+थाना- जगदीशपुर जिला- भोजपुर सीआर न0- 108112502662553	Cataract + Injection	10,000	दस हजार स्वीकृत।
87	गीता देवी पति- सिदनाथ प्रसाद ग्राम- पटेल नगर वार्ड 07 पो0+थाना- शास्त्रीनगर जिला- पटना सीआर न0- 108112502625046	Cataract + Injection	10,000	दस हजार स्वीकृत।
88	कुती देवी पति- सुनल कुमार ग्राम- मीरजुमला वार्ड 10 पो0- चकिया थाना- भगवानपुर हाट जिला- सिवान सीआर न0- 108112300675190	Lupus Nehpritis	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
89	भारती देवी पति- यशवत कुमार ग्राम- पाड वार्ड 05 पो0- चकबहाउद्दीन थाना- दलसिहसराय जिला- समस्तीपुर सीआर न0- 108112300732100	Lupus Nehpritis	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।

90	आयुष कुमार पिता- पिस्तानद पासवान ग्राम- रसलपुर वार्ड 14 पो0- महियामा थाना- सन्हौला जिला- भागलपुर सीआर न0- 108112503338539	Arterio- venous Malformat ion	40,000	चालीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
91	आबेनिशा पिता- मो0 जीमल अहमद असारी ग्राम- पाटीपुल दीघा वार्ड 01 पो0- दीघा घाट थाना- दीघा जिला- पटना सीआर न0- 108112403248354	Renal & Hunt	40,000	चालीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
92	मनीष कुमार पिता- रजीत प्रसाद ग्राम- बीरबल बिगहा वार्ड 13 पो0- सौरे थाना- वेन जिला- नालदा सीआर न0- 108112300402002	Post Trasplant	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
93	अनिल कुमार राय पिता- जय नारायण राय ग्राम- महिसौथा वार्ड 12 पो0- महिसौथा थाना- बोखडा जिला- सीतामढी सीआर न0- 108112401638805	Post Trasplant	60,000	साठ हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
94	इन्दु देवी पति- बिपिन कुमार सिंह ग्राम- बन्दार वार्ड 09 पो0- बन्दार थाना- निमाचदपुरा जिला- बेगूसराय सीआर न0- 108112402637250	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
95	ममता देवी पति- सुनिल झा ग्राम- बेलसड वार्ड 01 पो0+थाना- बेलसड जिला- सीतामढी सीआर नं0- 108112402068751	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			63,60,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 63,60,000/- (तीरसठ लाख साठ हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता संख्या- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 004592 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0-503 2011 9556 खाता धारक का नाम- "निदेशक, इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान सं0 शेखपुरा पटना" खाते का प्रकार-चालु, बैंक का

नाम—इंडियन बैंक, शाखा का नाम—आई0जी0आई0एम0एस0, शेखपुरा पटना, 800014 RTGS/IFSC कोड स0 IDIB000i507 मे अतरित किया जाता है।

- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- 4 गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
- 5 यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयो का मिलान कर चिकित्सा प्रारभ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
8. आयुष्मान भारत — प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन


ह0/-

(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 455(14) पटना, दिनांक 18/2/2026
प्रतिलिपि— शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0 002592 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि—लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी सबधित मरीजो के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
अधीक्षक,
महावीर कैसर सस्थान,
फुलवारी शरीफ, पटना-801505

पटना, दिनांक

विषय - "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 11.02.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	बीना देवी पति-राजेन्द्र कुमार चौरसीया ग्राम-पो०-अर्जुनपुर थाना-औद्योगिक जिला-बक्सर एम०सी०एस-एफ 79257	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
2	अनिता देवी पति-चन्द्रेश्वर चौधरी ग्राम-डढिया असाधर पो०-डढिया असाधर थाना-अगार घाट जिला-समस्तीपुर एम०सी०एस-एफ 75975	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
3	शिव पुजन चौबे पिता--मगल चौबे ग्राम+पो०-कल्याणपुर थाना-कल्याणपुर जिला पूर्वी चम्पारण एम०सी०एस-ई० 94513	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
4	तपस्या नन्द दुबे पिता-बबन दुबे ग्राम-जितवारपुर पोस्ट-पिपरा थाना-गोविन्दगज जिला मातिहारी एम०सी०एस-एफ 79222	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।

5	नीरज कुमार पिता-मनोज राय ग्राम-टोटहा जगतपुर पो0-दुबौली थाना-पानापुर जिला-सारण एम0सी0एस-एफ 98849	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
6	बासमती देवी पति-विनय सिंह ग्राम-सिमरा पो0-बराही बाजार थाना-फेसर जिला-औरगाबाद एम0सी0एस-जी0 5983	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
7	अशोक पासवान पिता-राम किशुन पासवान ग्राम-द्वारिका बिगहा पोस्ट-चेरो थाना-हरनौत जिला नालदा एम0सी0एस-एफ 74674	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
8	निभा देवी पति-मिथिलेश पटेल ग्राम-कुलदीप छपरा वार्ड 05 पोस्ट-चौबे अम्बारा थाना-सरैया जिला-मुजफ्फरपुर एम0सी0एस-एफ 14487	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
9	जलधर सिंह पिता-बाबु राम सिंह ग्राम-कोरीगवा पो0-गणेश सिरसिया थाना चकिया पी0एस0 जिला-पूर्वी चम्पारण एम0सी0एस-एफ 94674	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
10	देवकालो देवी पति-मेघनाथ चौधरी ग्राम-नोनउर पो0-करबासीन थाना-सहार जिला-भोजपुर एम0सी0एस-जी0 9251	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
11	हेबाती देवी पति-देव नारायण भगत ग्राम-मनिया वार्ड 9 पोस्ट-मनिया थाना-असॉव जिला-सीवान एम0सी0एस-जी0 10130	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

12	उषा देवी पति-सजय प्रसाद सिंह ग्राम-शेखपुरा पोद्ध-मथुरापुर थाना-मुफसिल जिला-खगडिया एम0सी0एस-जी0 9137	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
13	राजो लहेरी पिता-करी लहेरी ग्राम-गोरा मान सिंह पो0-गोरा मान सिंह थाना-बडगाव जिला-दरभगा एम0सी0एस-जी0 9423	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
14	अनिता देवी पति-दामोदर मडल ग्राम-मेहरमना टाड पो0-गौरबडीह थाना-टेटिया बम्बर जिला-मुगेर एम0सी0एस-जी0 10287	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
15	सजना कुमारी पिता-बृजनन्दन महतो ग्राम-गोपी धनवत पो0-गिद्धा थाना-सरैया जिला-मुजफ्फरपुर एम0सी0एस-एफ 94635	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
16	अरुण कुमार पिता-मोहन साह ग्राम-पीर मकेर माली टोला पो0-पीर मकेर थाना-मकेर जिला-सारण एम0सी0एस-ई0 80423	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
17	नागेश्वर यादव पिता-विन्देश्वरी यादव ग्राम-सिवाडी पो0-सदलपुर थाना-कोढा जिला-कटिहार एम0सी0एस-एफ 79521	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
18	सैमुन खातुन पति-हदीश असारी ग्राम-गम्हरीया पो0-तिहिया थाना-खैरा जिला जमुई एम0सी0एस-जी0 3859	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।

19	सुधा देवी पति-दिनेश ठाकुर ग्राम-अरईखाप पो-राम नगर थाना-खुदावा जिला-औरगाबाद एम0सी0एस-जी0 6892	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
20	सुगधी देवी पति-जय प्रकाश सिंह ग्राम-भीमपुरवा पो0-काशी टेगराही थाना-महम्मदपुर जिला-गोपालगज एम0सी0एस-जी0 10905	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
21	मास्टर अभिनव कुमार पिता-अवधेश कुमार ग्राम-घुघरी टाड शिव मंदिर के पास पो0-चौद चौरा थाना-विष्णुपद जिला-गया एम0सी0एस-जी0 3046	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
22	नूर सेवा खातुन पति-अब्दुल मजीद गाम-लाचौर वार्ड 05 पो0-तेलता थाना-बलरामपुर जिला-कटिहार एम0सी0एस-जी0 11213	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
23	प्रभावती देवी पति-अक्षयवर शर्मा ग्राम-पो0-माधोपुर थाना-सिसवन जिला-सीवान एम0सी0एस-जी0 10359	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
24	सुनीता देवी पति-रगेश विश्वकर्मा ग्राम-मझीयांवा पो0-चेचाढी थाना ओबरा जिला औरगाबाद एम0सी0एस-जी0 5842	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
25	अरविन्द सरदार पिता-रसिक सरदार ग्राम+पो0-चरने थाना-राजेश्वरी ओ0पी0 जिला-सुपौल एम0सी0एस-जी0 11451	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

26	श्रीमती गुलनुर पिता-हबीबुर रहमान ग्राम-शिकारपुर पो0-दासग्राम थाना-आबादपुर जिला-कटिहार एम0सी0एस-एफ 71624	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
27	प्रियका देवी पति-बृज किशोर चौरसीया ग्राम-प्रतापटाड पो0-प्रतापटाड थाना-भगवानपुर जिला-वैशाली एम0सी0एस-एफ 20558	बोन मैरो ट्रांसप्लाट	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
28	धर्मन्द्र बिन्द पिता-जोगी बिन्द ग्राम-ककरोडी पो0-हलसी थाना-हलसी जिला लखीसराय एम0सी0एस-जी0 11104	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
29	जिलेबनि देवी पति-शिव बालक पासवान ग्राम-सिमरी पो0-सिमरी थाना-विद्यापति नगर जिला-समस्तीपुर एम0सी0एस-जी0 9124	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
30	शशिकान्त निषाद पिता-भुमनेश्वर निषाद ग्राम-अलानी वार्ड 04 पो0-अलानी थाना-सलखुआ जिला सहरसा एम0सी0एस-एफ 71182	कैसर रोग	30,000	तीस हजार स्वीकृत।
31	निर्मला सिंह पिता-स्व0 दिनेश कुमार सिंह ग्राम-नेवाजी टोला शिवनगरी पो0-गुरुकुल मेहिया थाना-मुफ्फसिल जिला-सारण एम0सी0एस-एफ 18717	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
32	बीबी रसिलन खालुन पति-मो0 मोबारक असारी ग्राम-खजुरिगरिया पो0-रहमाडीह थाना-धोरैया जिला-बाका एम0सी0एस-जी0 9341	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।

33	कमला देवी पति—निरामल चौधरी ग्राम—शकरपुर पो0—इन्द्रपुरी थाना—इन्द्रपुरी जिला—रोहतास एम0सी0एस—एफ 71008	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
34	सुशीला देवी पति—सोनलाल चौहान ग्राम—श्रीपुर पो0—धर्मडीहा थाना—बाराहात जिला—बाका एम0सी0एस—जी0 10882	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
35	मजदा बानो पति—मो0 जावेद हुसैन ग्राम—कश्मीरगंज वार्ड 10 पो0—मसौडी थाना मसौडी जिला—पटना एम0सी0एस—एफ 52067	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
36	जुबैदा ख़ातुन पति—आमिर आलम ग्राम—सलापतगज गुदरी पो0—छपरा थाना—भगवान बाजार जिला—सारण एम0सी0एस—एफ 85787	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
37	बिन्दा देवी पति—अर्जुन मिस्त्री ग्राम—चैनपुरा पो0—काब थाना—रानी तालाब जिला—पटना एम0सी0एस—जी0 10537	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
38	सुनीता देवी पति—सिकन्दर सिंह ग्राम—मोहनपुर पो0—चिरियावा थाना अतरी जिला गया एम0सी0एस—जी0 9927	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
39	जितेन्द्र मंडल पिता—सत्य नारायण मंडल ग्राम+पो0—बथनाहा थाना—जोगबनी जिला—अररिया एम0सी0एस—जी0 7453	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

40	रामचन्द्र साह पिता-गगा साह ग्राम-भवानीपुर पो0-भवानीपुर थाना-भवानीपुर जिला-पूर्णिया एम0सी0एस-एफ 82910	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
41	कमलेश प्रसाद पिता-स्व0 रोशन प्रसाद ग्राम+पो0-सोनामई थाना-धनरूआ जिला-पटना एम0सी0एस-जी0 10598	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
42	बिधान्ति देवी पति-पारस चौधरी ग्राम-मिश्रौली पो0-कोयला देवा थाना-मीरगज जिला-गोपालगज एम0सी0एस-एफ 65360	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
43	इलियास खान पिता-अजीज खॉन ग्राम-चकमिल्की पो0-कुसैया थाना-वारिस नगर जिला-समस्तीपुर एम0सी0एस-एफ 98891	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
44	शकीला खातुन पति-मो0 बाबुल गाम-फुलवरिया वार्ड 02 पो0-बरौनी थाना-फुलवरिया जिला बेगुसराय एम0सी0एस-एफ 68629	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
45	मो0 मुस्तकीम पिता-शेख हब्बी ग्राम-पछियारी झिरूआ पो0-बसगरहा रामपुर थाना-सिमराहा जिला-अररिया एम0सी0एस-जी0 11112	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
46	लालझरी देवी पति-रामेश्वर ठाकुर ग्राम-गोदना ब्रजटोली पो0-रिविलगज थाना रिविलगज जिला-सारण एम0सी0एस-एफ 99093	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

47	कलावती देवी पति-रामदीहल महतो ग्राम+पो0-सरैया थाना-कृष्णगढ जिला-भोजपुर आरा एम0सी0एस-जी0 9444	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
48	विनीता सिन्हा पति-शैलेन्द्र सिन्हा ग्राम-रघनाथपुर मधुबन पो0 सिलौट थाना मनियारी जिला मुजफ्फरपुर एम0सी0एस-एफ 97891	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
49	प्रदीप ठाकुर पिता-स्व0 झगरू ठाकुर ग्राम-मदिर घाट सुल्तानगज पोस्ट+थाना-सुल्तानगंज जिला-भागलपुर एम0सी0एस-जी0 11205	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
50	बिन्दा देवी पति-देवचन साह ग्राम-बीबीपुर मनोरा पो0-बीबीपुर थाना-बेलसर जिला-वैशाली एम0सी0एस-जी0 10609	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
51	कृत्यानंद यादव पिता-जाबुनलाल यादव ग्राम-बुआरी पो0 डगरूआ थाना-डगरूआ जिला पूर्णिया एम0सी0एस-एफ 4566	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
52	पारो देवी पति-दानी पाल ग्राम+पो0-सोनमा थाना-बखरी जिला-बेगुसराय एम0सी0एस-जी0 5986	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
53	चदन कुमार सिन्हा पिता-स्व त्रिलोकीनाथ अमबष्टा ग्राम-टी0पी वर्मा लेन पत्थर रोड सरिस्तबाद पो0-जी0पी0ओ0 थाना-गर्दनीबाग जिला-पटना एम0सी0एस-जी0 7088	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।

54	अखिलेश पासवान पिता- बाबु लाल पासवान ग्राम-सहोरा टोला पो0+थाना-चौसा जिला-मधेपुरा एम0सी0एस-जी0 9234	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
55	अजय सिंह पिता-सहदेव सिंह ग्राम-शाहपुर पो0-कुसुमहर थाना-अकबरपुर जिला-नवादा एम0सी0एस-जी 11075	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
56	सुनील पाण्डेय पिता-यदुनन्दन पाण्डेय ग्राम-डुमरावाँ पो-अवदाचक थाना-अस्थावा जिला नालदा एम0सी0एस-जी0 8239	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
57	मुँगा देवी पति-नारायण मिस्त्री ग्राम-बडी पैकान्त पो0-देवठा थाना-पसराहा जिला-खगडिया एम0सी0एस-जी0 10827	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
58	पुनम देवी पति-राजु राउत ग्राम-चित्रगुप्ता नगर पोखरिया पो0-बेगुसराय थाना बेगुसराय टाउन जिला-बेगुसराय एम0सी0एस-जी0 7474	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
59	अर्चना कुमारी पति- जगदीश कुमार ग्राम+पो0- हासी केवल थाना- भगवानपुर जिला- वैशाली एमसीएस न0- एफ 86734	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

60	उषा देवी पति- संजय सिंह ग्राम- देवरथ काको वार्ड 01 पो0+थाना- देबरथ काको जिला- जहानाबाद एमसीएस नं0- एफ 88652	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
61	सुबोध मडल पिता- भीम मडल ग्राम- चन्दसुरी टोला पो0- भटगामा थाना- चौसा जिला- मधेपुरा एमसीएस न0- जी 11170	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
62	अजीत कुमार केशरी पिता- ललिता प्रसाद ग्राम- पजाबी कॉलोनी चितकोहरा पो0- अनीसाबाद थाना- गर्दनीबाग जिला- पटना एमसीएस न0- एफ 67202	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			43,40,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 43,40,000/- (तेतालीस लाख चालीस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं0 002572 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 3601018437 खाता धारक का नाम- 'महावीर कैंसर इंस्टीच्युट एंड रिसर्च सेंटर (बी0जी0) रीसीप्ट, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-सेन्द्रल बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम -चितकोहरा ब्रांच, अनिसाबाद, पटना RTGS/IFSC कोड सं0 CBIN 0282779 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सवधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम-

"मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

7. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख


ज्ञापाक

454(14)

पटना, दिनांक 18/2/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002592 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-04 /2018
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
बुद्धा कैसर सेटर,
नहर रोड, लेफ्ट 2 नहर चौक,
रूपसपुर, बेली रोड
पटना-801503

पटना, दिनांक .

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के सबध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 11.02.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है –

क्रमांक	मरीज का नाम/ पता निबंधन संख्या	रोग	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	अमृता कुमारी पति- आलोक रजन ग्राम+पो०+थाना- मथुरापुर जिला- समस्तीपुर	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			1,00,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,00,000/- (एक लाख) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० 0.02.5.74 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स०-36930644306 खाता धारक का नाम-“बुद्धा कैसर सेटर प्रा० लि०” खाते का प्रकार-चालू बैंक का नाम- स्टेट बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम- RTGS/IFSC कोड स० SBIN0017469 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय

अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. चिकित्सा CGHS के दर पर की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्योरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि विभाग को 10 दिनों के अंदर वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छ) माह होगी।
8. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अछादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)


निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक S22 (14)

पटना, दिनांक 24/2/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002592 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, सबधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-04/2018
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
मेडिवर्सल सुपर स्पेशलीटी अस्पताल,
(यूनिट आफ मेडिवर्सल हेल्थकेयर प्रा० लि०)
डाक्टर कोलनी 90 फीट रोड,
कंकडबाग पटना 20

पटना, दिनांक...

विषय— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक— 11.02.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	कृष्णा कान्त केशरी पिता— स्व० आनंद प्रकाश केशरी ग्राम— सुल्तानपुर पो०— बगही बाजार थाना— कटेया जिला— गोपालगज	Craniectomy	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			3,00,000/-	

- उक्त अनुदान की कुल राशि रू० 3,00,000/- (तीन लाख) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० 002592 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता स०-00030400000914 खाता धारक का नाम—“Mediversal Health Care Pvt. Ltd खाते का प्रकार—चालू, बैंक का नाम— बैंक आफ बड़ौदा, शाखा का नाम पटना मेन ब्रांच, पटना RTGS/IFSC कोड स० BARBOPATNAX में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत

करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
7. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझें ।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापक 523(14)

पटना, दिनांक 24/2/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002592 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सबधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


24/2/20
निदेशक प्रमुख

सं0सं0-14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डा0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,

महावीर आरोग्य संस्थान,
नीयर चिरैयाटांड ओवर ब्रिज,
अपोजीट पेट्रोल पम्प,
ककडबाग, पटना- 800020

पटना, दिनांक.

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 11.02.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है:-

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	मौ0 रशीद इमाम पिता- मो0 अली इमाम ग्राम- सब्जीबाग चम्माल घाटी वार्ड 40 पो0- बाकीपुर थाना- पीरबहोर जिला- पटना रजि न0- 2526/43177	हृदय रोग सीएबीजी	1,35,000	एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत।
			1,35,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,35,000/- (एक लाख पैंतीस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता संख्या- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं0 002572 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0-1843085503 खाता धारक का नाम-निदेशक 'महावीर आरोग्य संस्थान, नीयर चिरैयाटांड ओवर ब्रिज, ककडबाग पटना 20 ' खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-सेंट्रल बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम- सेंट्रल बैंक आफ इंडिया, चिरैयाटांड, पटना, RTGS/IFSC कोड सं0 CBIN 0282213 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापक 456(11)

पटना, दिनांक 18/2/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002572 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि-लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाए
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा मे,
निदेशक,
जीवक हार्ट अस्पताल एव शोध संस्थान प्रा० लि०,
ककडबाग, पटना-20

पटना, दिनांक

विषय - "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 11.02.2026 की बैठक मे निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान मे निम्नलिखित मरीजो को उनके नाम के समक्ष बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में
1	2	3	4	5
1	रामेश्वर प्रसाद यादव पिता- भागवत यादव ग्राम- हनुमान नगर चौरा वार्ड 16 पो०- हनुमान नगर चौरा थाना- मधेपुरा जिला- मधेपुरा	हृदय रोग पेसमेकर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	शिव कुमार सुमन पिता- राम स्वरूप यादव ग्राम- बडकी डेल्हा कल्याणपुर वार्ड 27 पो०- आर०एस० गया थाना- डेल्हा जिला- गयाजी	हृदय रोग सीएबीजी	1,35,000	एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत।
3	वीणा देवी पति- अशोक कुमार गुप्ता ग्राम- राजेंद्र नगर वार्ड 29 पो०- कोशी कॉलेज थाना- चित्रगुप्त नगर जिला- खगडिया	हृदय रोग पीटीसीए	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			3,35,000	

2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,35,000/- (तीन लाख पैंतीस हजार) रूपये मात्र के भुगतान के लिए आपके स्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" खाता स० 30121380424, एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० 001592 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता स० 16590200000041 खाता धारक का नाम-"निदेशक, जीवक हार्ट अस्पताल एवं शोध संस्थान प्रा० लि०

कंकडबाग, पटना' खाते का प्रकार- चालू बैंक का नाम-इन्डियन ओबरसीज बैंक, शाखा का नाम-कंकडबाग, पटना(1659) RTGS/IFSC कोड स0 IOBA 0001659 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसूली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
7. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अछादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)


निदेशक प्रमुख

पटना, दिनांक 18/2/2026

ज्ञापाक 457(14)

प्रतिलिपि- शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0. 002572... की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि-लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2026

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ

बिहार, पटना

प्रेषक

डा0 (श्रीमती) रेखा झा,

निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,

फुलवारीशरीफ, पटना-801505

पटना, दिनांक.....

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 11.02.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	पूनम देवी पति- रवि शकर ग्राम- रामबाग चौरी नहर रोड पो0- रमना थाना- मिठनपुरा जिला- मुजफ्फरपुर	कैसर रोग	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत।
2	सीता देवी पति- किशोरी दास ग्राम- रामपुरा रत्नाकर पो0- डुमरी थाना- सराय जिला- वैशाली	कैसर रोग	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत।
3	मनोज कुमार पिता- देव नंदन नदन सिंह ग्राम- भुसौला दानापुर पो0- मुबारकपुर थाना- फुलवारीशरीफ जिला- पटना	कैसर रोग	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत।
4	महेश रविदास पिता- सरयुग रविदास ग्राम+पो0- कचहरिया थाना- चडी जिला- नालदा	कैसर रोग	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत।

5	अरविन्द राय पिता- बनवारी राय ग्राम- बिदुपुर पो0- बिदुपुर बाजार थाना- बिदुपुर जिला- वैशाली	कैसर रोग	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत।
6	श्रेयाश मौर्या माता- खुशबू देवी ग्राम- कोहडा मुशहरी टोला पो0- भवानीपुर थाना- श्रीनगर जिला- पश्चिम चम्पारण	कैसर रोग	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत।
7	सौरभ राज माता- मानती कुमारी ग्राम+पो0- पचरूखिया थाना- पिरो जिला- भोजपुर	कैसर रोग	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत।
8	कुणाल कुमार माता- श्रीमती देवी ग्राम- प्रेम टोला पो0- रामपुरा दियारा थाना- मनेर जिला- पटना	कैसर रोग	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत।
9	कृष्णा कुमार गुप्ता पिता- रामायण शाह ग्राम- गोपालपुर पो0- ताराह थाना- नोखा जिला- रोहतास	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
10	चन्दन कुमार पिता- श्रवण रविदास ग्राम- छतरवार पो0- कोनदपुर थाना- पकरीबरावां जिला- नवादा	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
11	देवनन्दन राय पिता- सहावीर राय ग्राम- बागमली पो0+थाना- हाजीपुर जिला- वैशाली	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
12	मिटू देवी पति- स्व0 हरेराम सिंह ग्राम- ईश्वरपुरा पो0- मिल्की ईश्वरपुरा थाना- करनामपुर जिला- जगदीशपुर	राईट हीप रिप्लेसमेट	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

13	मो० अशफाक आलम पिता- शहाबुद्दीन ग्राम- पहाडिया पो०+थाना- बायसी जिला- पूर्णियाँ	लेफ्ट हीप रिप्लेसमेंट	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
14	अंजू देवी पति- आनदी सहनी ग्राम+पो०- मालीपुर थाना- गढपुरा जिला- बेगूसराय	टोटल हीप रिप्लेसमेंट	1,70,000	एक लाख सत्तर हजार स्वीकृत।
15	रजन यादव पिता- दीनदयाल यादव ग्राम- बलियाडीह पो०- रजला ओरैया थाना- झांझा जिला- जमुई	टोटल हीप रिप्लेसमेंट	1,70,000	एक लाख सत्तर हजार स्वीकृत।
16	राजीव कुमार पटेल पिता- शम्भू पटेल ग्राम- खजुरी पो०- सादिकपुर थाना- काँटी जिला- मुजफ्फरपुर	बोथ हीप रिप्लेसमेंट	1,70,000	एक लाख सत्तर हजार स्वीकृत।
17	चैन किशोर राय पिता- रामचंद्र राय ग्राम- भोपतपुर नदी कान्ही पो०+थाना- भोपतपुर जिला- पूर्वी चम्पारण	लेफ्ट हीप रिप्लेसमेंट	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
18	विशाल कुमार पिता- राजेश कुमार ग्राम+पो०- ममई थाना- असरगंज जिला- मुंगेर	ड्रामा	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
19	मंगल सिंह मेहरा पिता- कृपा सिधु प्रसाद ग्राम- ऐझी पो०- मुबारकपुर थाना- कोरमा जिला- शेखपुरा	ड्रामा	90,000	नब्बे हजार स्वीकृत।
20	राम केवल साह पिता- तुलसी साह ग्राम- अरजल पो०- कोल्हुआ थाना- पचरुखी जिला- सिवान	लेफ्ट हीप रिप्लेसमेंट	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।

21	सारो देवी पति- रामनरेश प्रसाद यादव ग्राम- पररिया पो0+थाना- नारदीगज जिला- नवादा	बोथ हीप रिप्लेसमेंट	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
22	काशीनाथ सिंह पिता- स्व0 इन्द्रदेव सिंह ग्राम- सोनाव पो0- अवरैर्यो थाना- कुदरा जिला- कैमूर भभुआ	बोथ हीप रिप्लेसमेंट	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
23	कमरून नेशा पति- बदरुद्दीन ग्राम+पो0- महुअवा थाना- चिरैया जिला- पूर्वी चम्पारण	बोथ हीप रिप्लेसमेंट	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
24	सुनीता देवी पति- ललन सिंह ग्राम- भवानीपुर पो0+थाना- देव जिला- औरंगाबाद	बोथ हीप रिप्लेसमेंट	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
25	नजमा खातून पति- मो0 निजामुद्दीन ग्राम- अलमीजान नगर पो0+थाना- फुलवारीशरीफ जिला- पटना	बोथ हीप रिप्लेसमेंट	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
26	अनीता देवी पति- द्वारिका चौधरी ग्राम- डहेरिया लक्ष्मण टोला कटिहार पो0- कटिहार थाना- नगर जिला- कटिहार	राईट हीप रिप्लेसमेंट	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
27	राघवेन्द्रा शाही पिता- केशव नारायण शाही ग्राम+पो0- गभीरार थाना- रघुनाथपुर जिला- सिवान	बोथ हीप रिप्लेसमेंट	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
28	महेंद्र प्रसाद सिंह पिता- राम किशुन प्रसाद सिंह ग्राम- छोटी बलहा पो0- बलहा थाना- मानसी जिला- खगडिया	बोथ नी रिप्लेसमेंट	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।

29	पकज कुमार पिता- सुरेद्र साह ग्राम+पो0- कांचा थाना- घटहो जिला- समस्तीपुर	स्पाईन सर्जरी	1,80,000	एक लाख अस्सी हजार स्वीकृत।
30	राजेंद्र महतो पिता- बृजलाल महतो ग्राम+पो0- दलसागर थाना- औधोगिक जिला- बक्सर	स्पाईन सर्जरी	1,80,000	एक लाख अस्सी हजार स्वीकृत।
31	मो0 जावेद अंसारी पिता- अब्दुल करीम ग्राम- खपटहा पो0+थाना- जगदीशपुर जिला- भोजपुर	गुर्दा प्रत्यारोपन	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत।
32	संजय कुमार वर्मा पिता- त्रिपुरारी प्रसाद ग्राम- साउथ पुलिस लाइन रोड नियर आनद मार्ग स्केल गया गेवाल बिगहा पो0- गया थाना- रामपुर जिला- गयाजी	गुर्दा प्रत्यारोपन	4,00,000	चार लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
33	पामिया कुंवर पति- स्व0 दीनानाथ सिंह ग्राम- बामो पो0- महुआ थाना- बैकुठपुर जिला- गोपालगंज	मेजर वासकुलर सर्जरी	2,40,000	दो लाख चालीस हजार स्वीकृत।
34	भीम पासवान पिता- लालदास पासवान ग्राम- गंगटा पो0- खरथुआ थाना- हरनौत जिला- नालदा	AICD Single Chamber Implantation	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
35	रमेश कुमार पिता- स्व0 राम प्रताप पडित ग्राम- भीतरी बेगमपुर नेहरू टोला पो0- बेगमपुर थाना- चौक जिला- पटना	Knee amputation	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
36	मोनू कुमार पिता- उपेन्द्र सिंह ग्राम- रामपुर खडहरा पो0- एकचारी थाना- रसलपुर जिला- भागलपुर	ACL	40,000	चालीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।

37	पंकज कुमार पिता- बनारसी साह ग्राम- भगवानपुर पो0- धबौली थाना- लाखो जिला- बेगूसराय	ACL	45,000	पैंतालीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
38	रामाशीष यादव पिता- मोसाफिर यादव ग्राम- इजमाइल बलवापर पो0- बारा थाना- टिकारी जिला- गयाजी	Chronic Kidney Disease	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
39	सूरज कुमार पिता- विनोद प्रसाद ग्राम- आबेडकर नगर हरनौत पो0+थाना- हरनौत जिला- नालदा	Chronic Kidney Disease	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
40	अश कुमार पिता- अवध सिंह ग्राम- हेमूछपरा पो0- मटियारी थाना- बैकुठपुर जिला- गोपालगज	Neurohepatic Wilson Disease	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
41	हंश राज कुमार पिता- मुकेश कुमार ग्राम- सग्रामपुर पो0- भटगाई थाना- तरैया जिला- सारण	Severe Aplastic Anemia	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
42	किशन मुखिया पिता- घनश्याम मुखिया ग्राम- बकरा पो0- रघरपुरा थाना- सुरसड जिला- सीतामढी	Spondylolith esis Spine	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
43	चादनी कुमारी पिता- अशोक कुमार ग्राम- सिरसा सर्वोदय टोला पो0- दिघवा दुबौली थाना- बैकुठपुर जिला- गोपालगज	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
44	संतोष कुमार शर्मा पिता- रामगुण शर्मा ग्राम- दोघरा पो0- बिहिया चौरस्ता थाना- बिहियो जिला- भोजपुर	हृदय रोग पीटीसीए	1,35,000	एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत।

45	हिरा देवी पति- मदन मोहन प्रसाद ग्राम- मेन रोड भट्टा गली डॉ माणिक चॉद के सामने पो0- दानापुर कैट थाना- दानापुर जिला- पटना	बोथ नी रिप्लेसमेंट	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
46	राम परिचय मिश्रा पिता- स्व0 चन्द्रिका मिश्रा ग्राम- लुल्हाधनाव पो0- धनाव थाना- बनियापुर जिला- सारण	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			54,30,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 54,30,000/- (चौवन लाख तीस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं0 002592 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 579310110008985 खाता धारक का नाम-Patient Care Fund 'एम्स, पटना' खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम -एम्स, पटना, फुलवारीशरीफ, पटना, बिहार, 801507 RTGS/IFSC कोड सं0 BKID 0005793 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379,

शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
7. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा0 (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 458(14)

पटना, दिनांक 18/2/2024

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0 002592 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई0 टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

स0स0-14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार,पटना

प्रेषक

डा0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
राजेश्वर अस्पताल,
नीयर बहादुरपुर फलाई ओवर,
कंकडबाग, पटना-800020

पटना, दिनांक... ..

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 11.02.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है-

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	रिजवाना खातून पेता- मो0 नसीम खान ग्राम- बगही पो0- बनाही थाना- बिहिया जिला- भोजपुर	Fandon Shortning	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			₹ 50,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 50,000/- (पचास हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक स0 0.0.2.5.9.2... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता स0- 1499002109000623 खाता धारक का नाम-"राजेश्वर अस्पताल" खाते का प्रकार-चालू बैंक का नाम- पजाब नेशनल बैंक, शाखा का नाम कंकडबाग, पटना, RTGS/IFSC कोड सं0 PUNBO 149900 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार

निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा० (श्रीमती) रेखा झा)


निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 459(14)

पटना, दिनांक 18/2/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002592 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/आई टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, सबधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख
17/2/26

स0 सं0 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
पारस एच०एम०आर आई० अस्पताल,
राजाबाजार,
पटना- 800014

पटना, दिनांक.....

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 11.02.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सबनम खातून पति- मजलूम ग्राम- गलहरिया पो०- सौरा बाजार थाना- बायसी जिला- पूर्णियाँ यूएचआईडी नं०- 3000609001	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
2	शांति देवी पति- गोना दास ग्राम- रामफल सह टोला सहरसा पो०+थाना- सहरसा जिला- सहरसा यूएचआईडी नं०- 3000613498	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
3	निर्मला कुमारी पिता- जनार्दन जमदार ग्राम- लाला बिगहा पो०- अजनौरा थाना- नूरसराय जिला- नालदा यूएचआईडी नं०- 3000568603	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
4	रंजन कुमारी पति- विरेन्द्र कुमार ग्राम- मौजमपुर पो०- ईजरा थाना- हाजीपुर सदर जिला- वैशाली यूएचआईडी नं०- 3000612167	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।

5	शाहजहा खातून पति- मजूर आलम ग्राम+पो0- सरेया बाजार थाना- पहाडपुर जिला- पूर्वी चम्पारण यूएचआईडी न0- 3000620938	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
6	बिनय कुमार राम पिता- श्यामलाल राम ग्राम- महम्मदपुर पो0- शिव महम्मदपुर थाना- मढौरा जिला- सारण यूएचआईडी नं0- 3000601774	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
7	मीना देवी पिता- रामशंकर मिश्र ग्राम+पो0- केशोपुर थाना- सिमरी जिला- बक्सर रजि न0- 3000620174	ब्रेन सर्जरी	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
8	अजीया देवी पति- परमेश्वर मंडल ग्राम- गगापुर कोलवारा टोला वार्ड 03 पो0- गंगापुर थाना- रतवारा जिला- मधेपुरा रजि न0- 3000616872	बोन मैरो ट्रान्सप्लांट	5,00,000	पाँच लाख स्वीकृत।
9	विद्या नन्द गौतम पिता- धरम देव ग्राम- मंगलपुर वार्ड 07 पो0- पटनी थाना- रामगढवा जिला- पूर्वी चम्पारण रजि नं0- 3000621435	Ful Body Infection	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			9,20,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 9,20,000/- (नौ लाख बीस हजार) रूपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 00.25.22.....द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 16498260000011 खाता धारक का नाम-पारस एचएमआरआई अस्पताल, ए यूनिट आफ पारस एचपी0एल0, खाते का प्रकार-चालू बैंक का नाम-एच0डी0एफ0सी0 बैंक लि0, शाखा का नाम-AMBITION SAPPHIRE BESIDES RELIANCE TRENDS RAJA BAZAR BAILEY ROAD PATNA BIHAR-800014, RTGS/IFSC कोड सं0- HDFC0001649 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- चिकित्सा CGHS के दर पर की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय।

यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय ।

5. मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं प्राक्कलन में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना उत्पन्न हो सकती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी आपकी होगी।
6. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
7. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
8. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि एक सप्ताह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
9. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 460 (14)

पटना, दिनांक 18/2/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002592 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
CISRO Hospital,
सगुना मोड, दानापुर,
पटना 801503

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक- 11.02.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	मो० सलामत पिता- मो० इसमाईल ग्राम- रामभद्रपुर पो०+थाना- रजौर रामभद्रपुर जिला- समस्तीपुर	ट्रामा	65,000	पैंसठ हजार स्वीकृत।
2	निर्मला देवी पति- अमेरिका पडित ग्राम+पो०+थाना- गोविन्दपुर जिला- नवादा	स्पाईन सर्जरी	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
3	अवधेश कुमार पिता- आलम गोप ग्राम- गुलनी पो०- भोकिलापर थाना- हिलसा जिला- नालदा	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
4	शाति देवी पति- पृथ्वी राज कपूर ग्राम+पो०+थाना- करगहर जिला- रोहतास	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
5	अनामिका कुमारी पति- धर्मेन्द्र कुमार ठाकुर ग्राम- मोहिउद्दीनपुर पो०+थाना- वारसलीगज जिला- नवादा	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

6	मोहन पडित पिता- लखी पडित ग्राम- एदिलपुर पो0- बरवे थाना- दरियापुर जिला- सारण	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
7	विजय कुमार पिता- सुखु साव ग्राम+पो0+थाना- हरनौत जिला- नालदा	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
8	चन्द्रलेखा देवी पति- बिरेन्द्र कुमार सिंह ग्राम+पो0- अरनिया थाना- जन्दाहा जिला- वैशाली	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
9	शबनम आरा पति- मो0 सरफुद्दीन ग्राम- इमलीतल पो0- दानापुर कैट थाना- दानापुर जिला- पटना	स्पाईन सर्जरी	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
			8,25,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 8,25,000/- (आठ लाख पच्चीस हजार) रू0 के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं0 002592 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0-39196290026 खाता धारक का नाम-KUMAR AND SARRAF HEALTH CARE PRIVATE LTD खाते का प्रकार- बैंक का नाम- स्टेट बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम-एस0बी0आई0 ग्रांडड फ्लौर ओजोन प्लाजा नीयर आर0पीएस0 मोड बेली रोड, RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN0011675 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह० / -

(डा० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

पटना, दिनांक 18/2/2026

ज्ञापाक 461 (14)

प्रतिलिपि— शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002592 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
सर्राफ आर्थो स्पाईन एंड मेटरनीटी
सेंटर नीयर डी०एम०सी०एच० लहेरिया सराय
दरभंगा-846003

पटना, दिनांक.

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक- 11.02.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	मुनेश्वर महतो पिता- सोनाई महतो ग्राम+पो०- संपताही थाना- बाबुबरही जिला- मधुबनी	टोटल हीप रिप्लेसमेंट	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
2	रधुबीर सहनी पिता- बहादुर सहनी ग्राम- ऑषी बभनगामा पो०- ऑषी थाना- बिस्फी जिला- मधुबनी	ड्रामा	65,000	पैंसठ हजार स्वीकृत।
3	मजू देवी पति- अरविन्द कुमार सिंह ग्राम+पो०- कसमा मारार थाना- खजौली जिला- मधुबनी	स्पाईन सर्जरी	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
4	पिकी कुमारी पति- लाल बाबू साहू ग्राम- सेमहली पो०- बारहा थाना- खिरहर जिला- मधुबनी	स्पाईन सर्जरी	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
5	वासुदेव महतो पिता- लखन महतो ग्राम- मौलागंज पो०- लालबाग थाना- मब्बी जिला- दरभंगा	स्पाईन सर्जरी	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
			₹ 4,30,000/-	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 4,30,000/- (चार लाख तीस हजार) रु० के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स० 30121380424 एस०

बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0-38022630797 खाता धारक का नाम-सर्गाफ आर्थो स्पाईन एंड मेटरनीटी सेंटर खाते का प्रकार- बैंक का नाम- स्टेट बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम-डी0एम0सी0 कैम्पस दरभंगा, RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN0003025 में अंतरित किया जाता है।

- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
- 6 पूर्व की शेष/अनप्रयुक्त राशि एक सप्ताह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
7. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)


निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 462(14)

पटना, दिनांक 18/2/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0.002592 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

सं0सं0-14/एम 11-01/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
रूबन मेमोरियल अस्पताल,
19 पाटलीपुत्रा कालोनी,
नियर पाटलीपुत्रा गोलम्बर,
पटना-800013

पटना, दिनाक..

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के सबध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनाक 11.02.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है-

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	मनीष कुमार पिता- अशोक कुमार सिंह ग्राम+पो0- सेनदुआरी थाना- हाजीपुर जिला- वैशाली	ब्रेन सर्जरी	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
			75,000/-	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹, 75,000/- (पचहत्तर हजार) रू० के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०-30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० 002572 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं०-32881734032 खाता धारक का नाम Ruban Patliputra Hospital Pvt. Ltd. खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- State Bank of India शाखा का नाम -एस०एम०ई० ब्रांच, डाकबगला रोड, पटना-800001 RTGS/IFSC कोड सं० SBIN0001513 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा। प्राक्कलन CGHS के दर पर ही निर्गत किया जाय।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक



है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-
(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 463(14)

पटना, दिनांक 18/7/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलक सं० 00.25.72...की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2026

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक/अधीक्षक,
फोर्ड अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर (प्रा०) लि०,
रामकृष्णा नगर, पटना- 800027

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 11.02.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	देवनदन प्रसाद सिंह पिता- स्व० मुशी प्रसाद ग्राम- सुरभि बिहार कृषि कॉलेज से पूरब पो०- ढेलवा थाना- बेउर जिला- पटना	Bipolat Hemiarthroplasty	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
2	धनजय कुमार गुप्ता पिता- विभीषण गुप्ता ग्राम- बसहिया राम पो०- फतेहपुर थाना- शिवहर जिला- शिवहर	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
3	कलावती देवी पति- लाल बहादुर सिंह ग्राम- खरसरा पो०- छाता थाना- दुर्गावती जिला- कैमूर भभुआ	हृदय रोग सीएबीजी	1,35,000	एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत।
4	कलावती देवी पति- अतु यादव ग्राम- जोरार पो०- बरौरा थाना- रामगढ जिला- कैमूर भभुआ	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

5	जय प्रकाश कुमार वर्मा पिता- रामाशीष वर्मा ग्राम+पो0+थाना- एकगर सराय जिला- नालदा	ट्रामा	65,000	पैसठ हजार स्वीकृत।
6	जवाहर लाल पिता- प्रसविध नारायण शर्मा ग्राम+पो0+थाना- पौथू जिला- औरंगाबाद	हृदय रोग पीटीसीए	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
7	धर्मेन्द्र कुमार पिता- स्व0 जय किशोर मिश्रा ग्राम- परशुरामपुर पो0- मौरी थाना- खानपुर खीडीमोड जिला- पटना	TAVI/TAVR	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
8	प्रिंस राज पिता- अरुण कुमार ग्राम- मुरलीगढ पो0- कोरवान थाना- चिकसीरा जिला- नालंदा	Implant Removal	40,000	चालीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
9	धनजय सिंह पिता- सूर्यमगल सिंह ग्राम+पो0- सिसई थाना- गोरेयाकोठी जिला- सिवान	हृदय रोग एमवीआर	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
			8,75,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि रू0 8,75,000/- (आठ लाख पचहत्त हजार) मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 002592... ..द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 31792937290, खाता धारक का नाम- फोर्ड हौस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर प्रा0 लिमिटेड, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-स्टेट बैंक आफ इण्डिया, शाखा का नाम-हनुमान नगर पटना, RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN0009005 मे अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया

जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छः माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
7. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापक 464(14)

पटना, दिनांक 18/2/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 0001592 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजो के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
अधीक्षक,
श्री साईं हौस्पिटल
(हार्ट युनिट) ई०-143
साउथ मलाही पकड़ी चौक
कंकडबाग पटना 20

पटना, दिनांक.. ...

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 11.02.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	दीना नाथ सिंह पिता- राम कुवर ग्राम- रेहारी पो०+थाना- बडहरी जिला- रोहतास	हृदय रोग पीटीसीए	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			1,00,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,00,000/- (एक लाख) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स०-30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक स० 0.0.2.592 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता स०-50200037828274 खाता धारक का नाम-"अखिलेश कुमार सिंह हौस्पिटल प्रा० लि०" खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-एच०डी०एफ०सी० पत्रकार नगर, कंकडबाग शाखा का नाम RTGS/IFSC कोड स० HDFC0000477 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना

आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छः माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
7. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 465(14)

पटना, दिनांक 18/2/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002592.. की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में) / आई टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं0 सं0 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,

सवेरा कैंसर एंड मल्टी स्पेशलीटी अस्पताल,

जीसी 5/जीसी 6,

डा0 आरएन सिंह रोड, लौहिया नगर,

कंकडबाग पटना-20

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 11.02.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	पिंकी सिंह पति- पकज सिंह ग्राम- शीतलपुर पो0- दरियापुर थाना- मुफसिल जिला- मुगोर	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	इन्दु कुमारी पति- सुधीर कुमार ग्राम- बरबकपुर पो0- पिरौना थाना- गरखा जिला- सारण	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	सुशील कुमार सिंह पिता- ओंकार नाथ सिंह ग्राम- रामपुर खोरम पो0- रामपुर थाना- गौरा बाजार जिला- सारण	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			2,40,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,40,000/- (दो लाख चालीस हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 001592 द्वारा

आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं०—
440720110000498 खाता धारक का नाम— Savera Cancer & Multispeciality Hospital खाते
का प्रकार—चालु, बैंक का नाम— बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम— राजेन्द्र नगर कोलनी, पटना
RTGS/IFSC कोड सं० BKID0004407 मे अतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारभ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
7. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह० / -

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 467(14)

पटना, दिनांक 18/2/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002572 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई० टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी सबधित मरीजो के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-01 /2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
बुद्धा कैसर सेंटर,
नहर रोड, लेफ्ट 2 नहर चौक,
रूपसपुर, बेली रोड
पटना-801503

पटना, दिनांक..

विषय.- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के सबध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 11.02.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है -

क्रमांक	मरीज का नाम/ पता निबंधन संख्या	रोग	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सुनीता देवी पति- सुरेश प्रसाद ग्राम- गोत्रायण पो०+थाना- नारदीगज जिला- नवादा	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	मीना खातून पति- कासिम कुरैश ग्राम- गणी मस्जिद के पास वलीगंज पो०- आरा थाना- आरा नगर जिला- भोजपुर	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
3	डी सकीम खान पिता- मो० महफूज खान ग्राम- उजानी टोला पो०- रहटा थाना- उदाकिशुनगज जिला- मधेपुरा	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
4	अवन्त्या श्री पिता- श्रीराम सिंह ग्राम- आनद गोलवा पो०- हरैल थाना- मोहिउद्दीनगर जिला- समस्तीपुर	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

5	मीणा देवी पति- शिवबहादुर पासवान ग्राम- तिसौर पो0- गिन्जी थाना- घोषी जिला- जहानाबाद	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
6	चुटरी बासखोर पिता- गणेश वाशफौर ग्राम- बिशहारी सीन मनसरी तल्ले मुगेर पो0- मुगेर थाना- कासिमबाजार जिला- मुगेर	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
7	जय नारायण साहू पिता- नन्हकू साहू ग्राम+पो0- बखरी थाना- बखरी जिला- बेगूसराय	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
8	कंचन देवी पति- लुखरू मंडल ग्राम- तिनटंगा पो0- गोरियर थाना- टिकापट्टी जिला- पूर्णियाँ	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
9	शाहिस्ता परवीन पति- मो0 बसीम आलम ग्राम- नया मोहल्ला हिलसा पो0- हिलसा थाना- हिलसा जिला- नालंदा	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
10	शिला देवी पति- अभय यादव ग्राम- मनसरपुर पो0+थाना- ईशीपुर जिला- भागलपुर	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
11	राधेश्याम यादव पिता- स्व0 वासुदेव यादव ग्राम- दुहवी-सुहबी नयाटोला उर्फ हमीदपुर पो0- नयाटोला थाना- पुरेनी जिला- मधेपुरा	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

12	हसीना खातून पति- लाल मोहम्मद ग्राम- बगलबाडी पो0- सिधिया थाना- पहरकट्टा जिला- किशनगंज	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
13	कलाम मिया पिता- तुजार मियां ग्राम- रुदलपुर पो0- पुरैना थाना- योगापट्टी जिला- पश्चिम चम्पारण	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
14	हैदर आलम पिता- औ जलील ग्राम- नटुआपारा पो0- धनपतगज थाना- कोचाधामन जिला- किशनगंज	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
15	अछेलाल साह पिता- पुनदेव साह ग्राम- चांप टोला टेघरा पो0- चाप थाना- सराय जिला- सिवान	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
16	अशु कुमारी पति- मुकेश कुमार ग्राम- हरपुर पो0- भुल्ली थाना- पिपराही जिला- शिवहर	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
17	ललित मडल पिता- देव नारायण मडल ग्राम- मुसहरिया पो0- रतनसारा थाना- फुलपरास जिला- मधुबनी	कैसर रोग	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत।
18	मो0 शाबीर पिता- मो0 अजीज मिया ग्राम- बेगमसराय पो0+थाना- बछवाडा जिला- बेगूसराय	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।

19	मो0 राशिद पिता-- नूर उद्दीन अहमद ग्राम-- खानकाह इमादिया मंगल तालाब पटना सिटी पो0-- पटना सिटी थाना-- चौक जिला-- पटना	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
20	मुनिया देवी पति-- जामुन राय ग्राम+पो0-- दाउदपुर थाना-- शाहपुर जिला-- पटना	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
21	श्यामा देवी पति-- स्व0 योगेद्र प्रसाद शर्मा ग्राम-- शिवपुरी पो0+थाना-- सहरसा जिला-- सहरसा	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
			15,10,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 15,10,000/- (पन्द्रह लाख दस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं0 002594 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0-36930644306 खाता धारक का नाम-"बुद्धा कैसर सेटर प्रा0 लि0" खाते का प्रकार-चालू बैंक का नाम- स्टेट बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम- RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN0017469 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- चिकित्सा CGHS के दर पर की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा

चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि विभाग को 10 दिनों के अंदर वापस किया जाय।

6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छ) माह होगी।
8. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख


ज्ञापाक 468(14)

पटना, दिनांक

18/2/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002572.....की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/आई. डी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, सबधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख
18/2/26

स० स०- 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
एस.एस. अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर
मलाही पकड़ी, कंकड़बाग, पटना 20

पटना, दिनांक

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 11.02.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है:-

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	फुलझाडो देवी पति- बाबुलाल चौधरी ग्राम+पो०+थाना- नया भोजपुर जिला- बक्सर	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	रीता देवी पति- भोला राय ग्राम- महुआ राम राय पो०+थाना- महुआ जिला- वैशाली	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
3	सजय कुमार सिन्हा पिता- मुरली मनोहर प्रसाद ग्राम- लाला टोली पो०- इन्दपे थाना- जमुई जिला- जमुई	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	मो० जफर आलम पिता- सफुर मसूर ग्राम- दिशारथ पो०- महेशपुर थाना- सन्हौला जिला- भागलपुर	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
5	पप्पू कुमार पिता- लक्ष्मण प्रसाद ग्राम- इंद्रलोक इपार्टमेंट अशोक राज पथ पो०- महेद्रू थाना- पीरबहोर जिला- पटना	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

6	बबिता देवी पति-कौशल कुमार रजक ग्राम-गायत्री नगर वार्ड 18 पो0-कुरथौल थाना-परसा बाजार जिला पटना	कैंसर रोग	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
			5,10,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 5,10,000/- (पाँच लाख दस हजार) रूपये मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 001592 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0 5020 418 8262 खाता धारक का नाम-एस0एस0 हौस्पीटल एंड रिसर्च सेंटर" खाते का प्रकार-चालू, बैंक का नाम- इंडियन बैंक, शाखा का नाम- हनुमान नगर, कंकड़बाग, पटना, RTGS/IFSC कोड सं0 IDIB000H531 मे अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
- स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
- आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)


निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 469(14)

पटना, दिनांक 18/2/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 001592.....की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/आई टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग पटना, संबधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

स0स0'14/एम-11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक
डा0 बीमल अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर
(प्रा. लि0) सगुना मोड, बेली रोड
पटना -801503

पटना, दिनांक .

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक- 11.02.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	विधानद यादव पिता-भूलन यादव ग्राम-जयपालपट्टी वार्ड 14 पो0-मधेपुरा थाना+जिला मधेपुरा	ERCp	35,000	पैंतीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
2	राज कुमार पिता रामाशीष यादव ग्राम-गगासागर पो0-मलाठी थाना-मखदुमपुर जिला-जहानाबाद	hydatid cyst	45,000	पैंतालीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
3	दीपक प्रधान पिता-सुभाष प्रधान ग्राम-शिव शक्ति नगर बिहटा पो0-बिहटा थाना-बिहटा जिला-पटना	Colonic Polyps	25,000	पच्चीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			₹ 1,05,000/-	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,05,000/- (एक लाख पाँच हजार) रू0 के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 004572..... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स0-442820110000158 खाता धारक का नाम-DR. BIMAL HOSPITAL AND RESEARCH CENTRE PVT.LTD खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम-बोरिंग

कनोल रोड, पटना, बिहार-800001 RTGS/IFSC कोड स0 BKID 0004428 मे अतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

पटना, दिनांक 18/2/2026

ज्ञापाक 470(14)

प्रतिलिपि- शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0 002592 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/ आई टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना / संबंधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

स0स0-14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
ऑक्सीजन ट्रामा एण्ड मल्टी स्पेशलीटी अस्पताल,
मौर्या कॉलोनी, बिस्कोमान गोलम्बर,
साउथ ऑफ कुम्हार ब्रीज, पटना-800007

पटना, दिनांक

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 11.02.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	मनोज कुमार अकेला पिता- स्व० गोरख महतो ग्राम- मोगलपुरा लाला टोली पो०- झाउगज थाना- खँजेकला जिला- पटना	ट्रामा	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
			75,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि रू० 75,000/- (पचहत्तर हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० 002592 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स०- 33569032861 खाता धारक का नाम- "ऑक्सीजन ट्रामा एंड मल्टीस्पेशलीटी अस्पताल " खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- स्टेट बैंक आफ इण्डिया, शाखा का नाम -गुलजारबाग, अशोक राजपथ, पटना सिटी, पटना RTGS/IFSC कोड स० SBIN 0001496 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि एक सप्ताह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
7. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)


निदेशक प्रमुख

ज्ञापक 471(14)

पटना, दिनांक 18/7/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है लगन चेक सं०..002592 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे) सभी संबंधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

स०स०'14/एम-11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक
क्यूरिस अस्पताल,
आर० के० पुरम मोड
नियर सगुना मोड, दानापुर
खगौल रोड, पटना-801503

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक- 11.02.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सुनीता देवी पति-मनोज साव ग्राम-गॉधी मुर्ती सगुना पो०-दानापुर कैट थाना-दानापुर जिला पटना	ड्रामा ब्रेन इजुरी	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
			75,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 75,000/- (पचहत्तर हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० 002592 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं० 50200020792300 खाता धारक का नाम- M/S PUSHPAM CARE AND CURE PVT LTD. खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-एच०डी०एफ०सी०, शाखा का नाम- RTGS/IFSC कोड सं० HDFC 0003961 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार

अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 472(14)

पटना, दिनांक 18/2/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002592 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक का कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजो के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

अधीक्षक,
होमी भाभा कैंसर अस्पताल,
एड रिसर्च सेटर एस०के०एम० सी० एच कैम्पस,
उमा नगर मुजफ्फरपुर-842004

पटना, दिनांक .

विषय- मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के सबध में।

महाशय,

मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 11.02.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सरथान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित वीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	बिभा सिंह पति- जय प्रकाश नारायण सिंह ग्राम+पो० परशुरामपुर थाना- अमनौर जिला- सारण केस फाईल न०- 19एफ2025/007262	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	राघवेन्द्र पजियारा पिता- भुदेव पजियारा ग्राम- मौजीहिदपुर पो०- विश्वम्भरचक थाना- अमरपुर जिला- बाका केस फाईल न०- सीपी/50637	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	द्वारका प्रसाद पिता- स्व० हरिहर प्रसाद ग्राम- शकर नगर गुयद्वारा के बगल में पो०- रमना थाना- मिठनपुरा जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न०- 19एफ2025/004168	कैंसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
4	शेख बट्टी पिता- शेख झगरू ग्राम- मशा टोला पो०- बरवत पसराइन थाना- मुफस्सिल जिला- पश्चिम चम्पारण केस फाईल न०- 19एफ2025/002922	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।

5	सध्या देवी पति- शुभाष पाडेय ग्राम+पो0- लौरिया थाना- गोविन्दगंज जिला- पूर्वी चम्पारण केस फाईल न0- 19एफ2025/002366	कैसर रोग	30,000	तीस हजार स्वीकृत।
6	अमित कुमार राम पिता- योगेद्र राम ग्राम- पोखरिया पो0+थाना- बेगूसराय केस फाईल न0- 19एफ2024/006059	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
7	रानी कुमारी पति- नितेश कुमार चन्दन ग्राम- खरमपुर भटोलिया उर्फ सैफाबाद वार्ड 11 पो0- भटोलिया थाना- चादपुरा जिला- वैशाली केस फाईल न0- 19एफ2025/003057	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
8	अजु देवी पति- सतीश प्रसाद मेहता ग्राम- इटहर पो0- बरहा थाना- पतुना जिला- मधुबनी केस फाईल न0- 19एफ2025/004608	कैसर रोग	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत।
			5,40,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 5,40,000/- (पाँच लाख चालीस हजार) के भुगतान के लिए आपके सरथान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक स0 002592 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सरथान/अस्पताल के खाता स0-TMC A/C HBCH and RC. Muzaffarpur A/c No- 59126012021000 खाता धारक का नाम-"होमी भाभा कैसर हॉस्पिटल, एड रिसर्च सेंटर मुजफ्फरपुर", खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-एच0डी0एफ0सी0 बैंक लि0, शाखा का नाम-RTGS/IFSC कोड स0 HDFC 0000084 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सवधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। गरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छ) माह होगी।
7. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापक

473(14)

पटना, दिनांक 18/2/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002592 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
Pancardia Heart & Multi Super Speciality Hospital
(P) Pvt. G-124. P.C. Colony. Main Road,
Near Domino's Pizza, Kankarbagh,
Patna - 800020

पटना, दिनांक

विषय— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के सबध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृति समिति की दिनांक **11.02.2026** की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एव पता तथा अस्पताल की निबधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	
1	शांति कुमारी पति— अजय कुमार ग्राम+पो०— गोनावा थाना— नवादा जिला— नवादा	हृदय रोग टीओएफ	1,35,000	एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत।
2	सर्विला देवी पति— श्रवण माझी ग्राम— अतौआ पो०— गोनावा थाना— कादिरगज जिला— नवादा	हृदय रोग डीभीआर	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
			2,85,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,85,000/- (दो लाख पचासी हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 002572 .. द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं०- 50200060079860 खाता धारक का नाम— Pancardia Heart and Multi super Speciality Hospital Pvt. Ltd. खाते का प्रकार—चालू, बैंक का नाम— HDFC Bank Ltd., शाखा का नाम— , RTGS/IFSC कोड सं० HDFC0000477 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना

आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. चिकित्सा CGHS के दर पर ही की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करे। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छः माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
8. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा। इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 474(14)

पटना, दिनांक 18/2/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 00 2592 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
हार्ट अस्पताल प्रा० लिमिटेड (चन्द्रालय)
वी/29 पत्रकार नगर
ककडबाग, पटना-20

पटना, दिनांक

विषय – “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 11.02.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अकित वीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है –

क्र० सं०	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	शिलम देवी पति- बिलाश यादव ग्राम- श्रीतलाल टोला टिकारामपुर वार्ड 13 पो०- बिहारी मरर टोला थाना- मुफसिल जिला- मुंगेर	हृदय रोग पीटीसीए	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	काजल सिन्हा पति- राजीव कुमार सिन्हा ग्राम-मोगलपुरा जमुनी राय का कुआ पो०- झाउगज थाना- चौक जिला- पटना	हृदय रोग बीएमवी	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
			1,60,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,60,000/- (एक लाख साठ हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” खाता स०-30121380424, एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० 002592... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स० 30002849889 खाता धारक का नाम-“HEART HOSPITAL LTD. कंकडबाग पटना 20” खाते का प्रकार- चालू, बैंक का नाम-एस० बी० आई०, शाखा का नाम RTGS/IFSC कोड स० SBIN 0004445 में अतरित किया जाता है।
- 3 चिकित्सा CGHS के दर पर ही की जाय। चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि

मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व की शेष/ अनुप्रयुक्त राशि विभाग को 10 दिनों के अंदर वापस किया जाय।

4. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सवधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
5. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
8. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 475(14)

पटना, दिनांक 18/2/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है किन चेक सं० 002592 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त की कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कजाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सबधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-01/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,

Dr Prabhat Memorial Hramati Hospital.

Plot No 106/107-B, Road No.

(Near Dinkar Golamber) Rajendra Nagar,

Patna 800016

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 11.02.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	अशोक कुमार झा पिता- लक्ष्मी नारायण झा ग्राम- राजखउ वार्ड 05 पो०- राजखड थाना- औराई जिला- मुजफ्फरपुर	हृदय रोग पीटीसीए	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			1,00,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,00,000/- (एक लाख) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० DD2592 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं०- 15570210003107 खाता धारक का नाम- **A Unit of Caring Hands Healthcare Pvt. Ltd.**, खाते का प्रकार-, बैंक का नाम- **UCO Bank**, शाखा का नाम- **Kankarbagh Patna**, RTGS/IFSC कोड सं०- **UCBA0001557** में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- चिकित्सा CGHS के दर पर की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि विभाग को 10 दिनों के अंदर वापस किया जाय।



6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
8. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छ) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)


निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक ८१७७(१५)

पटना, दिनांक 18/2/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० ००.२५९८ की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई० टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी सबधित मरीजो के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


17/2/26
निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
बी०एस०एल, आई केयर,
रवीन्द्र बालिका विद्यालय रोड न०-2
राजेन्द्र नगर पटना-800016

पटना, दिनांक...

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृति समिति की दिनांक 11.02.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सरथान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एव पता तथा अस्पताल की निबधन सख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	
1	लाला देवी पति-खरखुर राय ग्राम-जफराबाद टोक पोस्ट-जफराबाद थाना-राघोपुर जिला-वैशाली	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत
2	भगवनीया देवी पति-राज बल्ली राय ग्राम-दीदारगज चेक पोस्ट पटना सिटी, पो०-कटरा बाजार थाना-दीदारगज जिला-पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत
3	अवध बिहारी शर्मा पिता-बूटन शर्मा ग्राम-ओड बिगहा पो०-मझियावन थाना-बशी ओ०पी० जिला-अरवल	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत
4	दशरथ माझी पिता-भोला माझी ग्राम-छतरपुर पोस्ट+थाना-परवलपुर जिला नालदा	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत

5	सुधीर सिंह पिता-राज नन्दन सिंह ग्राम-बसीगपुर पो0-शकरडीह थाना-परवलपुर जिला-नालंदा	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत
6	लालती देवी पति-किशोरी सिंह ग्राम+पो0-नगर नौसा थाना-नगर नौसा जिला-नालदा	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत
7	कृष्णा प्रसाद पिता-दरोगी रावत ग्राम-शकरडीह पो0-शकरडीह थाना-परवलपुर जिला-नालदा	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत
8	आनो यादव पिता-लाले यादव ग्राम+पो0-पलटपुरा थाना-मानपुर जिला नालदा	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत
9	सीता प्रसाद पिता-रामेश्वर प्रसाद ग्राम+पो0-शकरडीह थाना-परवलपुर जिला नालदा	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत
10	रेणु देवी पति-शिववचन शर्मा ग्राम-समनपुर बद्धो पो0-इब्राहीमपुर थाना-किजर जिला अरवल	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत
11	जयमणी देवी पति-बिजेन्द्र शर्मा ग्राम-समनपुर बद्धो पो0-इब्राहीमपुर थाना-किजर जिला अरवल	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत
12	लखिया देवी पति-साधु यादव ग्राम+पो0-पलटपुरा थाना-मानपुर जिला-नालदा	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत
13	सीता राम महतो पिता-शिवनदन महतो ग्राम-नेवा पोस्ट-डीहारी थाना-पीपडा जिला-पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत

14	कौशल्या देवी पति-रामाधार सिंह ग्राम-नेवा पोस्ट-डीहारी थाना-पीपडा जिला-पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत
15	चुनमुनिया देवी पति-मनोहर राय ग्राम-पो0-डीहारी थाना-पीपडा जिला-पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत
16	रामाचनो देवी पति-श्री निवास राय ग्राम+पो0-जमीरा थाना-आरा मुफसिल जिला-भोजपुर	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत
17	पतसिया देवी पति-सत्य नारायण राय ग्राम-जमरिया पो0-जमरिया थाना-आरा मुफसिल जिला-भोजपुर	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत
18	नन्द लाल पाण्डेय पिता-जग नारायण पाण्डेय ग्राम-तेतरीया पो0-खलीलाबाद थाना-काको जिला-जहानाबाद	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत
19	बेदमिया देवी पति-स्व0 महेन्द्र ठाकुर ग्राम+पो0-फतेहपुर थाना-राघोपुर जिला-वैशाली	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत
20	जयमती देवी पति-श्याम बाबु राय ग्राम-रामपुर श्यामचद पो0-रामपुर थाना-राघोपुर जिला-वैशाली	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत
21	लगमनिया देवी पति-बनारसी राय ग्राम-डीहारी पो0-डीहारी थाना-पीपरा जिला-पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत
22	लखन राम पिता-दुखन राम ग्राम-नेवा पो0-डीहारी थाना-पीपरा जिला-पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत

23	रमुनीया देवी पति-स्व० राजदेव राय ग्राम-रामपुर श्यामचद पो०-रामपुर थाना-राघोपुर जिला-वैशाली	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत
24	नारायण राम पिता-मुनी लाल राम ग्राम-राम सागर पो०-मटुकपुर थाना-बडहरा जिला-भोजपुर	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत
25	शम्भु पासवान पिता-मुनी पासवान ग्राम-मटुकपुर पोस्ट-मटुकपुर थाना बडहरा जिला-भोजपुर	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत
26	कन्हैया प्रसाद पिता-घुरल साह ग्राम-राम सागर पोस्ट-मटुकपुर थाना-बडहरा जिला-भोजपुर	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत
27	मनोज कुमार पिता-आनद प्रसाद ग्राम-राष्ट्रीयगज पो०-फुलवारी शरीफ थाना-फुलवारी शरीफ जिला-पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत
28	रुन्ती देवी पति-योगेन्द्र प्रसाद ग्राम-नोहसा पो०-फुलवारी शरीफ थाना-फुलवारी शरीफ जिला पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत
29	शर्मनिन्द शर्मा पिता-बगाली मिस्त्री ग्राम-नोहसा पो०-फुलवारीशरीफ थाना फुलवारीशरीफ जिला पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत
30	जीरा देवी पति-साधु राय ग्राम-नोहसा पो०+थाना-फुलवारीशरीफ जिला-पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत

31	शाति देवी पति-रामजी सिंह ग्राम-पाडुर रामपुर दलेलगज पो0-पाडुरामपुर थाना-सदेश जिला-भोजपुर	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत
32	वकील राम पिता-शिव बचन राम ग्राम-खानेट पावर पो0-पवार थाना-पवना जिला-भोजपुर	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत
33	कमरून निशा पति-इम्तियाज ग्राम+पो0-इबाहीमपुर थाना-किजर जिला-अरवल	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत
34	कामदेव राम पिता-विदेश्वर राम ग्राम-भीमपुरा पो0-गोरहुवान थाना-मसौढी जिला-पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत
35	मुनिया देवी पति-बरन राय ग्राम-जफराबाद डीह पोस्ट-जफारबाद थाना-राघोपुर जिला-वैशाली	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत
36	गेना दास पिता-रामजी दास ग्राम-सुकमारपुर पो0-जफराबाद थाना-राघोपुर जिला-वैशाली	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत
37	इन्दु देवी पति-लगन साह ग्राम-सुकुमारपुर पो0-जफराबाद थाना राघोपुर जिला वैशाली	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत
38	प्यारी देवी पति-राम नरेश राम ग्राम-हरिदह बडौली पो0-इमामगज थाना पालीगज जिला पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत

39	गुजारी देवी पति-राम कृष्णा साव ग्राम-हरदिअ बडौली पो0-इमामगज थाना-पालीगज जिला-पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत
40	बहादुर राय पिता-रघुनी राय ग्राम-राघोपुर पूर्वी पो0-राघोपुर थाना-राघोपुर जिला-वैशाली	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत
41	सीता देवी पति-बुधु साह ग्राम-डेगो डिहरी पो0-करनौल चादी थाना-चरपोखरी जिला-भोजपुर	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत
42	रामचन्द्र सिंह यादव पिता-जगदीश प्रसाद यादव ग्राम-अमनावन पो0-चन्दहरी थाना-इस्लामपुर जिला नालदा	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत
43	मो0 युसुफ साह पिता-मो0 समद साह ग्राम-नहरपर ईसापुर पो0-फुलवारीशरीफ थाना फुलवारीशरीफ जिला पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत
44	अखतरी बानो पति-मो0 बसीर ग्राम-इसापुर पुरानी मस्जिद पो0+थाना-फुलवारीशरीफ जिला-पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत
45	अजीमन खातुन पति-मो0 कमरुदीन ग्राम-इशोपुर पो0+थाना-फुलवारीशरीफ जिला पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत
46	मालती देवी पति-राजेन्द्र सिंह ग्राम-मुसहरी पो0-बडई थाना-इस्लामपुर जिला-नालदा	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत

47	किशोरी प्रसाद सिंह पिता भुनेश्वर प्रसाद ग्राम-दावा बीघा पो0+थाना-एकगरसराय जिला नालदा	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत
			4,70,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 4,70,000/- (चार लाख सत्तर हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं0 002592... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0-295711100000885 खाता धारक का नाम-B.S.L. EYE CARE खाते का प्रकार-चालू, बैंक का नाम-युनाईटेड बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम नाला रोड कदमकुआ RTGS/IFSC कोड सं0 UBIN0829579 में अंतरित किया जाता है।
- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- 4 यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. चिकित्सा CGHS के दर पर ही की जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
- 7 पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छ माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
- 8 आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापक 478(14)

पटना, दिनांक 18/2/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 002592 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कड़िका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) आई टी नेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
दृष्टि कुज नेत्रालय, प्रा०लि०,
सगुना मोड, बेली रोड, पटना 801503

पटना, दिनांक... ..

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृति समिति की दिनांक 11.02.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	
1	रामजी सहनी पिता-रूप लाल सहनी ग्राम+पो०-डुमरा थाना बेलसड जिला-सीतामढी	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
2	अबुल हुसैन पिता-शेख मोहम्मद ग्राम-दरियापुर पोस्ट-कसार थाना-बेलसड जिला-सीतामढी	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
3	मीना देवी पति-सहदेव साव ग्राम-माधोपुर पो०-दानापुर कैट थाना दानापुर जिला-पटना	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
4	अनिता देवी पति-चदेश्वर राय ग्राम-नया पानापुर पो०-मानस थाना दानापुर जिला पटना	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।

5	लालझरी देवी पति-माला राय ग्राम-भीकहा बाध पो0-बहपुरा थाना-मनर जिला-पटना	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
6	गगनदेव साह पिता-शुकुल साह ग्राम-मधुकौल पोस्ट-जाफरपुर थाना-बेलसड जिला-सीतामढी	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
7	अकिन्द्र सिंह पिता-राम विवेक सिंह ग्राम-मधुकौल पो0-जाफरपुर थाना-बलसड जिला सीतामढी	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
8	समीना खातुन पति-मो0 जामिल अख्तर खान ग्राम-पररही पो0-कसार थाना-बेलसड जिला सीतामढी	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
9	विश्वनाथ साह पिता-दीप नारायण साह ग्राम-बलिगढ पो0-बलिगढ थाना-रुन्नी सैदपुर जिला-सीतामढी	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
10	बिजेन्द्र कुमार रजक पिता-जगलाल बैठा ग्राम-सेलहौरी बाग पोस्ट-बेलहौरी थाना-दुल्हिन बाजार जिला पटना	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
11	नन्द लाल साह पिता-चद्रमा साह ग्राम-देव चद्रा पो0-देव चंद्रा थाना-पीरो जिला भोजपुर	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
12	योगेन्द्र प्रसाद पिता-कालिचरण प्रसाद ग्राम-हजरत साई पो0-हजरत साई थाना-धनरुआ जिला पटना	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।

13	रजीत राय पिता-रामचन्द्र राय ग्राम-बिशुनपुर पो0-माधोपुर थाना-दानापुर जिला पटना	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
14	जानकी देवी पति-सजय राय ग्राम-अजनी मठिया पो0-अजनी थाना परसा जिला सारण	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
15	किशुन राय पिता-सभा राय ग्राम-छोटा हरसचक बिशुनपुर पोस्ट--माधोपुर थाना-दानापुर जिला पटना	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
16	जुल्फेकर हैदर पिता-अब्दुल हलीम ग्राम+पो0-कुलहरीया थाना-कोईलवर जिला-भोजपुर	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
17	रीता कुमारी पति-प्रमोद विश्वकर्मा ग्राम-कौडिया पो0-कुजवा थाना-बिहटा जिला पटना	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
18	बीना देवी पति-जगेश्वर ठाकुर ग्राम-डिहरी पो0-तारा नगर थाना-आई0 आई0 टी0 बिहटा जिला-पटना	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
19	रेशमी देवी पति-महेन्द्र साव ग्राम-दरवेशपुर पो0-ब्यापुर थाना-मनेर जिला-पटना	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
20	टुनकी देवी पति-बिठल चौधरी ग्राम-दरवेशपुर पो0-ब्यापुर थाना-मनेर जिला-पटना	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।

21	कौशल राय पिता-रघुनाथ राय ग्राम-मानस पो0-नया पानापुर थाना-दानापुर जिला पटना	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
22	कौशल्या देवी पति-टिपन राय ग्राम-मानस पो0-नया पानापुर थाना-दानापुर जिला पटना	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
23	सुरेन्द्र साव पिता-सकल साव ग्राम-मानस पो0-नया पानापुर थाना-दानापुर जिला पटना	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
24	सोढी देवी पति-चदेश्वर दास ग्राम-मानस पो0-नया पानापुर थाना-दानापुर जिला पटना	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
25	भोला सिंह पिता-त्रिवेणी सिंह ग्राम-कोईलवर पो0+थाना कोईलवर जिला भोजपुर	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
26	मुर्ती देवी पति-शिव लोटन राय ग्राम- मानस पोस्ट-नया पानापुर थाना-दानापुर जिला पटना	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
27	राज कुमारी देवी पति-विश्वनाथ दास ग्राम-मानस पोस्ट-नया पानापुर थाना-दानापुर जिला पटना	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
28	सोशीला देवी पति-श्रीमाला राय ग्राम-मानस पो0-नया पानापुर थाना-दानापुर जिला पटना	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
29	कबुतरी देवी पति-राम सागर राय ग्राम-मानस पो0-नया पानापुर थाना-दानापुर जिला पटना	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।

30	देवन्ती देवी पति-लाल किशुन राय ग्राम-मानस पो0-नया पानापुर थाना-दानापुर जिला पटना	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
			3,00,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,00,000/- (तीन लाख) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0-30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 002592 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0-333905000940 खाता धारक का नाम-Drishtikunj Netralaya Pvt. Ltd खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम ICICI बैंक, शाखा का नाम Saguna More, Patna. RTGS/IFSC कोड सं0 ICIC0003339 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम-"मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0-30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छः माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
7. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)


निदेशक प्रमुख

ज्ञापक 479(14)

पटना, दिनांक 18/2/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 002592 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
ए०एस० जी० आई अस्पताल
ओल्ड आर कै० एभन्यु
राजेन्द्र नगर, नियर दिनकर गोलम्बर
पटना 800004

पटना, दिनांक .

विषय- मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृति समिति की दिनांक 11.02.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सरस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	उदय कात झा पिता- सव० उचित नारायण झा ग्राम- उत्तरी जय प्रकाश नगर रोड न०- 02 पो०- आशियाना नगर थाना- राजीवनगर जिला- पटना	Cataract surgery	15,000	पन्द्रह हजार स्वीकृत।
			₹ 15,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 15,000/- (पन्द्रह हजार) रू० के भुगतान के लिए आपके सरस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०-30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 002592 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सरस्थान/अस्पताल के खाता सं० 016705012140 खाता धारक का नाम-"ए०एस०जी० हॉस्पिटल प्रा० लि०" खाते का प्रकार-चालु बैंक का नाम-आई०सी०आई०सी० आई०, शाखा का नाम-, पटना RTGS/IFSC कोड सं० ICIC0000167 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।



5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि एक सप्ताह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
7. आयुष्मान भारत — प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अछादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)


निदेशक प्रमुख

ज्ञापक 480(14)

पटना, दिनांक 18/2/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं०. ~~0.02592~~ की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सबधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख 17/2/26

स० स० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
बांका आई अस्पताल एंड डेंटल केयर सेंटर
अपोजिट लोयला स्कूल कुर्जी
पटना 801105

पटना, दिनांक

विषय— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 11.02.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	राजेश कुमार पिता-गंगा विष्णु सिंह ग्राम-निजामपुर पो०-कच्ची दरगाह थाना-फतुहा जिला-पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत
2	कैलु चौधरी पिता-रामचंद्र यादव ग्राम-पिजौरा जहानाबाद पो०-पिजौरा थाना-काको जिला-जहानाबाद	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत
3	सुदामी देवी पति-राम प्रसाद साव ग्राम-नेरथुआ पिजौरा पो०-पिजौरा थाना काको जिला जहानाबाद	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत
4	सुरेश पंडित पिता-शशोभी पंडित ग्राम-नेरथुआ पिजौरा पो०-पिजौरा थाना-काको जिला-जहानाबाद	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत

5	मोहन यादव पिता-राम चरित्र यादव ग्राम-सरथुआ सलेमपुर पो0-सरथुआ थाना-भेलावर जिला-जहानाबाद	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत
6	बैद्यनाथ दास पिता-हरि दास ग्राम-नेरथुआ पिजौरा पो0-पिजौरा थाना-काको जिला-जहानाबाद	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत
7	महेश्वरी देवी पति-शिव साव ग्राम-शातिपुरम पो0-परियारी थाना-किंजर जिला-अरवल	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत
8	रामजीवन राम पिता-राजा राम ग्राम-पेपरपुरा पो0 नगला किजर थाना-पालीगज जिला-पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत
9	शाति देवी पति-केशर माझी ग्राम+पोस्ट-मुराहही थाना-किजर जिला-अरवल	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत
10	मुस्तफा असारी पिता-सरफुदीन असारी ग्राम-गरारी पो0-टेकारी थाना--कोच जिला गया	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत
11	उर्मिला देवी पति-सुदामा दास ग्राम-गराही पो0-टेकारी थाना--कोच जिला गया	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत
12	सुबेदार यादव पिता-रामदेव यादव ग्राम-इंग्लिशपर पो0-टेलहा थाना-टिकारी जिला गया	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत

13	तापेश्वर माझी पिता-राम खेलावन माझी ग्राम-गुलजारबाग पो0--सडा थाना टिकारी जिला-गया	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत
14	वचन देवी पति-विन्देश्वरी प्रसाद ग्राम शेरपुर पो0-शेरपुर थाना-जहानाबाद नगर जिला जहानाबाद	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत
15	मालती देवी पति-बुट्टु दास ग्राम-गरारी पो0-टेकारी थाना-कोच जिला-गया	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत
16	जुदागी माझी पिता-बैसखी माझी ग्राम-गुलजारबाग पो0-सडा थाना-टिकारी जिला-गया	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत
17	जागेश्वरी देवी पति-केदार सिंह ग्राम-मोसीमपुर कुर्था पोस्ट+थाना-फतुआ जिला पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत
18	मीना देवी पति-अर्जुन पासवान ग्राम-गरारी पोस्ट-तेलहाथाना-कोच जिला गया	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत
19	फुला कुमारी पति नरेश यादव ग्राम-गरारी पोस्ट-तेलहा थाना-कोच जिला गया	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत
20	ग्रीजेश यादव पिता-रामदेव यादव ग्राम-गरारी पोस्ट-तेलहा थाना-कोच जिला गया	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत
			2,00,000	

2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,00,000/- (दो लाख) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं0 012592 द्वारा

आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं० 50200021671321 खाता धारक का नाम— BANKA EYE HOSPITAL AND DENTAL CARE CENTRE, खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम— HDFC BANK, शाखा का नाम— Patliputra Branch, Kurji (Patna), RTGS/IFSC कोड सं० HDFC0002643 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छः माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
7. आयुष्मान भारत — प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापक 687 (14)

पटना, दिनांक 18/2/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002592 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी सबधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11- 01/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
सजीत कुमार
पिता- वशिष्ठ सिंह
ग्राम- कपरपुरा
पो०- छपरा धरमपुर यदु
थाना- काँटी
जिला- मुजफ्फरपुर
पिनकोड- 843108

पटना दिनाक

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनांक 11.02.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए प्रथम किस्त के रूप में कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सजीत कुमार पिता- वशिष्ठ सिंह ग्राम- कपरपुरा पो०- छपरा धरमपुर यदु थाना- काँटी जिला- मुजफ्फरपुर पिनकोड- 843108	Post Kidney Transplant Medicine	1,08,000	एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (विभागीय सकल्प संख्या- 213(14), दिनांक-30.01.2024 के आलोक में)
			₹ 1,08,000/-	

- उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000/- (एक लाख आठ हजार) के भुगतान के लिए उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स०-30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक स० 001592 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता स०-19050100022114, खाता धारक का नाम- SANJEET KUMAR, खाते का प्रकार-, बैंक का नाम- BANK OF BARODA, शाखा का नाम-PAHARPUR, IFSC कोड स०- BARB0PAHMUZ में अंतरित किया जाता है।
- निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी मद में राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वासभाजन

ह०/-
(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख


ज्ञापाक 503 (14)

पटना, दिनांक 18/2/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002592 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



निदेशक प्रमुख



India's International Bank

याद रखें / Remember.

- आपके खाते में नवीनतम केबलरसी, नामांकन, मोबाइल नंबर एंड ई-मेल आईडी अपडेट की जाएगी।
Your account should be updated with your latest KYC Nomination, Mobile number and e-mail ID
- अपनी पासबुक को सावधानी पूर्वक रखें। अपनी पासबुक पर हस्ताक्षर न करें। पासबुक को नियमित रूप से अद्यतन करें। किसी भी प्रकार की गिनती होने का खतरा सामना नही जानी चाहिए।
Preserve your passbook carefully. Do not put your signature on passbook. Get passbook updated regularly. Any discrepancy should be notified immediately.
- कृपया अपनी व्यक्तिगत जानकारी, प्रयोगकर्ता आईडी, पिन, पासवर्ड, सीवीवी नम्बर आदि का उपयोग केवल शाखा से इलाका की जानकारी मांगे जाने पर शाखा को सूचित किया जाना चाहिए।
Please do not give your personal information, user IDs, Pins, Password, CVV number to any third party. Use name requesting for such information should be notified to the branch.
- खाते के लिए पहली पासबुक नि:शुल्क होगी। शुल्क का भुगतान किए जाने पर डुप्लिकेट पासबुक उपलब्ध कराया जाएगा।
First passbook in account is free. Duplicate passbook may be provided on payment of fee.
- प्रत्येक अर्द्ध वर्ष में 50 डेबिट (स्थायी अनुदेगी, वैकल्पिक डिजिटली चैनल) केवल प्रारंभ में संचालित होने पर 50 से अधिक चार्ज लागू होना पर ध्यान देना चाहिए।
50 debits (excluding Standing instruction, Alternate Delivery Channels related to service charges) per half year is permitted. Transaction exceeding above 50 will be charged.
- ब्याज की गणना दैनिक आधार पर ति जमापनी और विभागीय का मासिक 15 दिनों में पूरा होने पर किया जाएगा।
Interest is calculated on daily basis and credited to accounts within 15 days of credit of funds.



Handwritten marks on the left margin.

स० स० 14/एम 11- 01/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

दीपक कुमार
पिता- लखन यादव
ग्राम- औरा
पो०- सहदेवखाप
थाना- मगध युनिवर्सिटी
जिला- गयाजी
पिनकोड- 824234

पटना दिनाक.

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनाक 11.02.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए प्रथम किस्त के रूप में कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	दीपक कुमार पिता- लखन यादव ग्राम- औरा पो०- सहदेवखाप थाना- मगध युनिवर्सिटी जिला- गयाजी पिनकोड- 824234	Post Kidney Transplant Medicine	1,08,000	एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (विभागीय सकल्प संख्या- 213(14), दिनाक-30.01.2024 के आलोक में)
			रु० 1,08,000 /-	

- उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000 /- (एक लाख आठ हजार) के भुगतान के लिए उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स०-30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० 002592 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता स०-448810110012081, खाता धारक का नाम- DEEPAK KUMAR, खाते का प्रकार-SAVINGS BANK GENERAL, बैंक का नाम- BANK OF INDIA, शाखा का नाम-SAHDEOKHAP, IFSC कोड स०-BKID0004488 में अंतरित किया जाता है।
- निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी मद में राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वासभाजन

ह० / -

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 504(14)

पटना, दिनाक 18/2/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स० 002592 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


17/2/26
निदेशक प्रमुख



सावधान

धोखेबाजों से देश में ही नहीं अथवा विदेश से मिलने वाले फर्जी प्रस्ताव/संदेश/एसएमएस जैसे लॉटरी विजेता, सस्ती फंड प्रस्ताव, नौकरी के प्रस्ताव, छात्रवृत्ति के प्रस्ताव, उत्प्रवास वीसा के प्रस्ताव, विदेशी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में प्रवेश के प्रस्ताव और ऐसे ही अन्य प्रकार के फर्जी प्रस्तावों से सावधान रहे।

WARNING

Beware of fictitious offers, messages/SMS about lottery winnings, cheap Fund Offers, employment offers, scholarship offers, offer of emigration visas, offer of admission to reputed universities abroad and similar such offers from fraudsters within the country or from abroad.

Br. Name :	SAHDEOKHAP	Occupation :	AGRICULTURE AND ALLIED AC	Bank of India
बैंक ऑफ इंडिया Address :	AT & POST SAHDEOKHAP, DIST. GAYA,	Address :	AT AURA PO JINDAPUR	
	BIHAR, SAHDEOKHAP (DIST. GAYA), 824234		PS MU BODHGAYA DIST GAYA	
Br. Tel. :	9199186780		SAHDEOKHAP (DIST. GAYA)	824234
Br. Email :	Sahdeokhap.Patna@bankofindia.co.in		BIHAR	INDIA
IFSC Code :	BKID0004488	Operational Inst:	SELF	
MICR Code :	823013508	Nomination :	REGD.	
Customer Id :	178314738	A/C Open Dt.:	24-02-2017	
Account No. :	448810110012081	Scheme Desc:	SAVINGS BANK GENERAL	
Name :	I. DEEPAK KUMAR S/O LAKHAN YADAV	Scheme Code:	SB101	
		Spl. Charge Code:	NO CONCESSIONS IN CHARGES	
For your queries / enquiry		Grievance Redress Officer,ZO:	_____	
Toll free no. of our call center:1800220229,18001031906		Grievance Redress Officer,Branch:9199186780	_____	
This pass book is system generated and does not require any initials				

स० स० 14/एम 11- 01/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

अर्चना कुमारी सुबोध कुमार
पति- सुबोध कुमार
ग्राम- भगवानपुर सिमरा
पो०- मिर्जापुर
थाना- पारू
जिला- मुजफ्फरपुर
पिनकोड- 843126

पटना दिनांक.

विषय - मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनांक 11.02.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए प्रथम किस्त के रूप में कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	अर्चना कुमारी सुबोध कुमार पति- सुबोध कुमार ग्राम- भगवानपुर सिमरा पो०- मिर्जापुर थाना- पारू जिला- मुजफ्फरपुर पिनकोड- 843126	Post Kidney Transplant Medicine	1,08,000	एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (विभागीय सकल्प संख्या- 213(14), दिनांक-30.01.2024 के आलोक में)
			₹ 1,08,000/-	

- उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000/- (एक लाख आठ हजार) के भुगतान के लिए उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स०-30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० 002592 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता स०-44278100000052, खाता धारक का नाम- ARCHANA KUMARI, खाते का प्रकार-, बैंक का नाम- BANK OF BARODA, शाखा का नाम-, IFSC कोड स०- BARB0PAHMUZ में अंतरित किया जाता है।
- निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी मद में राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वासभाजन


ह०/-
(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 505(14)

पटना, दिनाक 18/2/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स० 002592 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक/मुख्य



Reference Card

IFSC Code : BARB0PAHMUZ
Cif No. : XXXXXXX
UID Number : 877906749188
Account Number: 44278100000052
First Name : Archana
Last Name : Kumari
Date of Birth : 10/03/ 1993
Address : Bhagwanpur Simra
City : Saraiya, Bihar
Pin Code : 843126
Mobile No. : 9939531457
Gender : F
Ko Location : Sahdani



Subodh K

स० स० 14/एम 11- 01/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

इमरान अली
पिता- अनवर हुसैन
ग्राम+पो०- रेवतिथ
थाना- बैकुठपुर
जिला- गोपालगज
पिनकोड- 841409

पटना दिनांक

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनांक 11.02.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए प्रथम किस्त के रूप में कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	इमरान अली पिता- अनवर हुसैन ग्राम+पो०- रेवतिथ थाना- बैकुठपुर जिला- गोपालगज पिनकोड- 841409	Post Kidney Transplant Medicine	1,08,000	एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (विभागीय सकल्प संख्या- 213(14), दिनांक-30.01.2024 के आलोक में)
			रु० 1,08,000/-	

- उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000/- (एक लाख आठ हजार) के भुगतान के लिए उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०-30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 002592 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता सं०-1005281030150317, खाता धारक का नाम- IMRAN ALI, खाते का प्रकार-, बैंक का नाम- UTTAR BIHAR GRAMIN BANK, शाखा का नाम- REOTITH, IFSC कोड सं०- CBIN0R10001 में अंतरित किया जाता है।
- निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी मद में राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 506(14)

पटना, दिनाक 18/2/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002592 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



17/2/26
निदेशक प्रमुख

गरीब योजना योजनाएं

- किसान क्रेडिट कार्ड
- कृषि ऋण
- स्वयं सहायता ऋण
- स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड
- एम लोन / कैश क्रेडिट कार्ड
- खुदरा व्यापारी ऋण
- मुद्रा ऋण
- शिक्षा ऋण

गरीब जमा योजनाएं

- बचत खाता
- चालू
- आवर्ती
- सावधि
- धन चू
- वरिष्ठ



गरीब योजना

NEFT / MTS / INTER BRANCH TRANSFER
लॉकर्स सुविधा

गारंटी वेबसाइट : www.ubgb.in पर विस्तृत जानकारी प्राप्त है.

उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक
A/C - No - 1005281030150317
IFSC: CBINOR10001



UTTAR BIHAR GRAMIN BANK

तारीख/Date

Branch Manager

 15/05/20